लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 90

की

कार्य-सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 15 दिसम्बर, 1990 में विचारणीय विषयों की कार्य-सूची

x=x=x=x=x=x

क्रम सं0	वि ष य	पृष्ठ संख्या
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 27 जूलाई, 1990 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	1
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 27 जूलाई , 1990 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	8
3	लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा सम्पादित बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं अन्य अभियन्त्रण कार्यों की प्रगति आख्या ।	16
4	शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड- 1 में 92 उच्च आय वर्ग के भावनों के निर्माण हेतु हडको से रु0 151.80 लाख ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।	17
5	प्रियदर्शनी योजना (सीतापुर रोड पश्चिम) की अर्थ-विवेचना के सम्बन्ध में ।	18
6	जनपथ में निर्मित मुख्य भवन की बेसमेन्ट की दुकानों के बिक्रय के सम्बन्ध में ।	26
7	कैसरबाग़ बारादरी के आस पास की भूमि पर "कैसरबाग़ गृह संस्थान एवं सड़क योजना हेतु अर्जन का प्रस्ताव ।	30
8	अलीगॅज योजना के अन्तर्गत रैदास मन्दिर रेलवे क्रासिंग के निकट अलीगॅज सब्ज़ी मण्डी योजना के सम्बन्ध में ।	32
9	वर्षा 1985 में आई बाढ़ से गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड के भावनों की क्षति क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में ।	33
10	अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों / कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधारी दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।	36

क्रमशः——

11	विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में ।	38
12	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा किये गये संशोधन को लागू करने के सम्बन्ध में ।	39
13	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साइकिल भत्ते में वृध्दि के सम्बन्ध में ।	48
14	कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरानी लागत पर भवन दिये जाने के सम्बन्ध में ।	49
15	आवन्टित ई0डब्लू0एस0 भवन के स्थान पर दूसरी योजना में एल0आई0जी0 भवन आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में ।	53
16	काश्मीर से आये शरणार्थियों, विकलांगों, पिछड़ी जातियों तथा विवादग्रस्त प्रकरणों में एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन की अनुमति के सम्बन्ध में ।	56
17	दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में	57
18	दण्ड ~~माफ़~~ ब्याज माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में	59
19	गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विभूति खण्ड में 10,000 वर्गफुट आवन्टित भूखण्ड के बगल में पड़ी 12,000 वर्गफुट भूमि का आवन्टन ।	61
20	मवैय्या स्थित ट्रस्ट भूखण्ड संख्या: 363-ए/14 के सम्बन्ध में ।	62
21	अपोलो अस्पताल को गोमती नगर योजना के विपिन्न खण्ड में भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	64
22	वजीर हसन रोड योजना का संशोधित अभिन्यास चित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	65
23	गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड का संशोधित अभिन्यास चित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	66
24	सीतापुर रोड योजना के फेज-3 के विन्यास मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	67
25	महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन तैयार किये गये मार्ग दर्शक सिध्दान्तों के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।	68
26	हायर परचेज़ पध्दति के अन्तर्गत आवन्टित किये जाने वाले भवनों की सामान्य शर्तें ।	69
27	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय ।	

विषाय सँख्या: ।

पृष्ठ सँख्या: ।

विषाय: लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 27 जूलाई, 1990 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 27 जूलाई, 1990 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु सँलग्न किया जा रहा है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 27 जुलाई, 1990 जो अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कक्ष में हुई, का कार्यवृत्त ।

उपस्थिति :

1.	श्री रमेश चन्द्र, अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।	अध्यक्ष
2.	श्री दिनेश राय, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ ।	उपाध्यक्ष
3.	श्री. अशोक प्रियदर्शी, जिलाधिकारी, लखनऊ ।	सदस्य
4.	श्री आर० के० शर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग ।	सदस्य
5.	श्री अनिल कुमार, आवास आयुक्त ।	विशेष आमन्त्री
6.	श्री एल० के० बनर्जी, वरिष्ठ नियोजक ।	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक के प्रतिनिधि

अन्य उपस्थिति :

श्री के० के० उपाध्याय,
सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=

विषय संख्या: 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 17 मई, 1990 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 17मई, 1990 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

विषय संख्या: 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 17मई, 1990 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 17मई, 1990 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

क्रमशः ——

विषय संख्या: 3 बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं अन्य अभियन्त्रण कार्यों की प्रगति आख्या ।

निर्णय : प्रगति विवरण की समीक्षा की गई तथा यह निर्देश दिया गया कि त्रैमासिक लक्ष्य का परीक्षण कर लिया जाय कि वे तर्कसंगत हैं या नहीं ?

विषय संख्या: 4 शारदा नगर योजना में रजनी खण्ड के अन्तर्गत 2560 अल्प एवं दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण तथा 342 भूखण्डों को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 5 प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय कालोनियों में 1,000 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों पर ग्रुप-हाउसिंग की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि इसकी दरें व्यवसायिक से कम रखी जायें तथा आवासीय श्रेणी दो प्रकार की हो :- §1§ सामान्य एवं §2§- ग्रुप-हाउसिंग ।

विषय संख्या: 6 गोमती नगर योजना में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स की स्थापना हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या : 7 कल्याण करोति समाज सेवी संस्था को नेत्र - चिकित्सालय की स्थापना हेतु भूमि आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : उप-समिति की संस्तुति पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या : 8 दिनाँक: 11 अक्टूबर, 1989 तक लगातार तीन वर्ष तक सेवा तथा प्रत्येक वर्ष में 240 दिन की अवधि पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु प्राप्त पदों का अनुमोदन ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्देश दिया गया कि नियमितीकरण में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाय ।

विषय संख्या: 9 लखनऊ विनियमित क्षेत्र में लागू शमन शुल्क की दरों व निर्देशों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय ; विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्देश दिया गया कि नगर अभियन्ता § भवन § का उत्तरदायित्व होगा कि शमन के मामलों में किसी प्रकार की शिथिलता नीचे स्तर पर न होने पायें । सरकारी, महापालिका तथा विकास प्राधिकरण की सड़क एवं गलियों पर किये गये प्रोजेक्शन के मामलों में कम्पाउन्डिंग नहीं की जायेगी । फ्रन्ट सेट बैक की कम्पाउन्डिंग भी सामान्यत: न की जाय, पोर्च को छोड़कर ।

क्रमश: ——

विषय संख्या: 10 गोमती नगर योजना में एशियन होटल्स लि0 को आवन्टित भूमि के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष इस विषय पर स्वविवेक के आधार पर निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम हैं ।

विषय संख्या: 11 अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों / कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधे दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अब तक ऐसे आवन्टन तथा उनके उपयोग की वर्तमान स्थिति के साथ विषय आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

विषय संख्या: 12 विभिन्न व्यक्तियों को योजनाओं के अन्तर्गत अर्जित भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 13 टाउन प्लानर्स सहकारी आवास समिति लि0 को गोमती नगर योजना में भूमि आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि समस्त सहकारी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करके शासनादेश के क्रम में उपाध्यक्ष निर्णय ले लें ।

विषय संख्या: 14 रायबरेली रोड योजना में डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के लिये आवन्टित भूमि के प्रीमियम पर टोकेन लीज़रेन्ट लिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि रू0 1/=टोकेन लीज़रेन्ट पर भूमि दिया जाना सम्भव नहीं है । इस आशय का पत्र सम्बन्धित विभाग को भेज दिया जाय ।

विषय संख्या: 15 90 वर्ष का लीज़रेन्ट जमा होने पर नवीनीकरण की शर्त समाप्त करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

क्रमशः ----

विषय संख्या: 16 गोमती नगर योजना में भूखण्ड संख्या: बी-3/20 विश्वास खण्ड की जमा धनराशि पर 16प्रतिशत ब्याज देने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि 16प्रतिशत ब्याज देने का कोई औचित्य नहीं है । अत: धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जाय ।

विषय संख्या: 17 श्री जी0एस0नागरा के 1-ए, शाहनजफ़ रोड, हज़रतगंज, लखनऊ स्थित भवन मानचित्र को शमनित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि शासनादेश में उद्धृत नियमों के अनुसार सचिव/उपाध्यक्ष निर्णय लेने हेतु सक्षम हैं ।

विषय संख्या: 18 प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणियों के वास्तुविदों/मान चित्रकारों के अनुज्ञप्ति शुल्क में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 19 सामुदायिक केन्द्रों के आरक्षण में प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों को, उनके पुत्र/पुत्री के विवाह में भी 10प्रतिशत किराया लिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 20 भू-उपयोग परिवर्तन हेतु , परिवर्तन शुल्क लिये जाने हेतु शासनादेश संख्या: 5748/II-5-86-52/मिस/86, दिनाँक: 12 अगस्त, 1986 का अनुमोदन ।

निर्णय : उक्त शासनादेश को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित समिति गठित की गई : -

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा सचिव तथा मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि, जो अपनी संस्तुति प्राधिकरण के समक्ष रखेंगे ।

विषय संख्या: 21 जीप संख्या: यू. एच. ई. 6483, एम्बेसडर कार सं0 यू. टी. डी. : 3150एवं विक्रम संख्या: यू. आर. यू. : 1656 की नीलामी तथा उनके स्थान पर नये वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि गाड़ियों की निर्धारित लाइफ/ चलने की अधिकतम सीमा देखकर उपाध्यक्ष निर्णय ले लें ।

क्रमश : ----

अनुपूरक विषय सूची: 01 लखनऊ विकास प्राधिकरण में कतिपय प्रकरणों में दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में विचार कर निर्णय लिया जाना ।

निर्णय : विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

§1§ भविष्य में अविकसित भूखण्ड/भवन आवन्टित न किये जायें ।

§2§- यदि अविकसित भूमि पर भूखण्ड आवन्टित किये जा चुके हैंऔर यदि किसी आवन्टी ने आवन्टन पत्र के अनुसार धनराशि जमा कर दी है तो आवन्टन पत्र के अनुसार दर लगाई जाय । यदि धनराशि जमा नहीं है तो विकास कार्य पूर्ण होने पर नई दर निकाली जाय और उसके अनुसार आवन्टी को अन्तर की धनराशि जमा करने हेतु सूचित किया जाय । यदि आवन्टी ने भागीय§पार्टे§ धनराशि जमा की है तो उतनी धनराशि के अन्तर्गत मात्रा का मूल्य पुरानी दर से तथा शेष मात्रा का मूल्य नई दर से लिया जाय । यदि आवन्टी सहमत न हो तो उसकी जमा धनराशि नियमानुसार ब्याज देकर वापस कर दी जाय ।

§3§ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवन्टित भवन/किश्तों पर आवन्टित भूखण्ड की निर्दिष्ट तिथि तक धनराशि न जमा करने के कारण जो दण्ड ब्याज देय होता है तथा वास्तविक मूल्य एवं अनुमानित मूल्य के अन्तर की धनराशि जो देय होती हो, इन दोनों को यदि निर्धारित तिथि तक न जमा किया जाय तो दोनों ही धनराशि पर नियमानुसार दण्ड ब्याज लिया जाय ।

§4§ समय वृद्धि नियमानुसार देय दण्ड ब्याज के साथ ही उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जाय ।

§5§ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटित भवन की कुछ किश्तें भवन निर्माण न किये जाने की स्थिति में जमा नहीं की जाती है और बाद में उसे कोई अन्य भवन आवन्टित कर दिया जाता है तो आवन्टी से नियमानुसार किश्तें जमा कराई जायें और वितथ §डिफाल्ट§ की दशा में नियमानुसार दण्ड ब्याज लगाया जाय ।

§6§ जब आवन्टी को कोई भूखण्ड किसी विशिष्ट आकार का आवंटित किया जाता है और बाद में किसी कारण से मौके पर उस भूखण्ड की मात्रा कम हो जाती है तो भुगतान की धनराशि भी कम हो जाती है जबकि आवन्टन पत्र के अनुसार आवन्टी द्वारा धनराशि जमा की गई होती है । ऐसी स्थिति में जब लीज-प्लान प्राप्त

क्रमशः ——

होता है तभी सही मात्रा का पता चलता है और जो अन्तर होता है वह धनराशि आवन्टी को वापस कर दी जाती है । इस धनराशि पर आवन्टी द्वारा ब्याज की माँग किये जाने पर उपरोक्त निर्णय: ।(2) के अनुसार कार्यवाही की जाय तथा अधिक जमा धनराशि नियमानुसार ब्याज देकर वापस कर दी जाय ।

अनु0वि0 सं0 : 02 13, अशोक मार्ग पर प्रस्तुत आफिस काम्पलैक्स के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि इस मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाय ।

अनु0वि.सं0: 03 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, 24-महात्मा गांधी मार्ग, हज़रतगंज के ग्रुप-हाउसिंग मानचित्र की स्वीकृति के संबंध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि इस पर शासनादेश के तारतम्य में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाय ।

अनु0वि0सं0: 04 अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को एक योजना से दूसरी योजना में भवन हस्तान्तरित /आवन्टित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात प्रस्ताव यथावत् अनुमोदित किया गया ।

अनु0वि0सं0 05 अपोलो अस्पताल केलिये अतिरिक्त 5एकड़ भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विस्तृत रूप से विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए गये:-

(1) प्रस्तावित अपोलो अस्पताल की प्रबन्ध समिति में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी सदस्य बनाया जाय ।

(2) उपरोक्त अस्पताल को 15एकड़ भूमि, भुगतान के समय प्रचलित आवासीय दर की आधी दर पर उपलब्ध कराई जाय ।

(3) उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार भी कुल मरीजों की 15प्रतिशत संख्या की सीमा तक आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाय ।

(4) लखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्तमान एवं भूतपूर्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों, प्रतिनियुक्ति पर आये वर्तमान

क्रमश: ——

तथा भूतपूर्व अधिकारी/कर्मचारी तथा उनके आश्रित और प्राधिकरण के वर्तमान /भूतपूर्व सम्मानित सदस्यों को परामर्श, परीक्षण तथा चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाय ।

अनु०वि०सं० 6 हैप्पी वर्ल्ड स्कूल, सेक्टर "डी" अलीगंजे के मानचित्र पर मलवा संचय शुल्क न लिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

अनु०वि०सं० 7 भवयधा स्थित ट्रस्ट भूखण्ड संख्याः 363-ए/14 के सम्बन्ध में ।

निर्णय: प्रस्ताव समयाभाव के कारण स्थगित किया गया ।

अनु०वि०सं० 8 वर्ष 1985 में आई बाढ़ से गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड में निर्मित भवनों के फर्श क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में मे० रूसदी कान्स्ट्रक्शन द्वारा किये गये कार्य का, उनको भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया ।

अनु०वि०सं० 9 ला-प्लास योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण कराने की स्थिति के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया । प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्य का उत्तरदायित्व ठेकेदार का नहीं होगा ।

अनु०वि०सं०10 सेक्टर "एल" कानपुर रोड योजना का पार्ट ले-आउट प्लान की स्वीकृति ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया ।

अनु०वि०सं०11 सेक्टर "आई"सीतापुर रोड योजना की औपचारिक स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया ।

बैठक उपरोक्त के बाद हाल में किसी तिथि को आगे के विषयों पर विचार करने हेतु स्थगित की गई ।

ह०/
§ के० के० उपाध्याय §
सचिव

ह०/
§ दिनेश राय §
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

ह०/
§ रमेश चन्द्र §
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त , लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।

विषय संख्या: 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 27 जुलाई, 1990 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या

क्रम संख्या	विषय संख्या	विषय	लिया गया निर्णय	अनुपालन
1	1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 17 मई, 1990 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 17 मई, 90 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।	नोट किया गया ।
2	2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 17 मई, 1990 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 17 मई, 90 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।	नोट किया गया ।
3	3	बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं अन्य अभिकरणा कार्यों की प्रगति आख्या ।	प्रगति विवरण की समीक्षा की गई । निर्देश दिये गये कि त्रैमासिक लक्ष्य का परीक्षण किया जाये कि वे तर्कसंगत हैं या नहीं ?	प्रगति आख्या अलग से प्रस्तुत की जा रही है ।

क्रमशः——

1	2	3	4	5
4.	4	शारदा नगर योजना में रजनी खण्ड के अंतर्ग त 2560अल्प एवं दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण तथा 342भूखण्डों को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	कार्यवाही की जा रही है ।
5.	5	प्र राधिकरण की विभिन्नआवासीय कालोनियों में 1000वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों पर ग्रुप-हाउसिंग की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में ।	विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि इसकी दरें व्यवसायिक से कम रखी जायें तथा आवासीय श्रेणी दो प्रकारकी हो : - (1) सामान्य (2) ग्रुप हाउसिंग	प्रकरण प्रस्तुत होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।
6.	6	गोमती नगर योजना में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स की स्थापना हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	श्री पंकज अग्रवाल, स्टाफ आफीसर तथा विशेष सचिव, खेल कूद, उ0प्र0 शासन को पत्र सं0712/सी.ए. दि024.8.90द्वारा सूचित कर दिया गया है ।
7.	7	कल्यांण करोति समाज सेवी संस्था को नेत्र चिकित्सालय की स्थापना हेतु भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।	उप-समिति की संस्तुति पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	शासन को इस कार्यालय के पत्र सं0684/सी.ए. दि018.8.90 द्वारा सूचित कर दिया गया है ।

क्रमशः - -

1	2	3	4	5
8.	8	दि0।।अक्टू0।989तक लगातार तीन वर्ष तक सेवा तथा प्रत्येक वर्ष में 240 दिन की अवधि पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु प्राप्त पदों का अनुमोदन ।	विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्देश दिया गया कि नियमितीकरण में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाय ।	निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है ।
9.	9	लखनऊ विनियमित क्षेत्र में लागू शमन शुल्क की दरों व निर्देशों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में ।	विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्देश दिया गया कि नगर अभिअन्ता-भवन का उत्तरदायित्व होगा कि शमन के मामलों में किसी प्रकार की शिथिलता नीचे स्तर पर न होने पाये । सरकारी, महापालिका तथा विकास प्राधिकरण की सड़क एवं गलियों पर किये गये प्रोजेक्शनके मामलों में कम्पाउन्डिग नहीं की जायेगी । फ्रन्ट सेट बैक की कम्पाउडिंग भी सामान्यत: न की जाय, पोर्च को छोड़कर ।	शासन को स्वीकृत हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है ।
10.	10	गोमती नगर योजना में एशियन होटल्स लि0 को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में ।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष इस विषय पर स्वविवेक के आधार पर निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम हैं ।	निर्णयानुसार उपाध्यक्ष द्वारा निर्णय ले लिया गया है तथा मै0एशियन होटल्स लि0 को पत्र सं0728/सी.ए. द्वारा सूचित कर दिया गया है ।

क्रमशः - - -

1	2	3	4	5
11.	11	अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों /कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधे दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अब तक ऐसे आवंटन तथा उनके उपयोग की वर्तमान स्थिति के साथ विषय आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।	विषय पुन: बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है ।
12.	12	विभिन्न व्यक्तियों को योजनाओं के अन्तर्गत अर्जित भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	निर्णय नोट कर लिया गया तथा तद्नुसार ही कार्यवाही की जा रही है ।
13.	13	टाउन प्लानर्स सहकारी आवास समिति लि0 को गोमती नगर योजना में भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि समस्त सहकारी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करके शासनादेश के क्रम में उपाध्यक्ष निर्णय ले लें ।	निर्णय नोट किया गया ।
14.	14	रायबरेली रोड योजना में डा0भीम राव अम्बेदकर वि0वि0, लखनऊ के लिये आवंटित भूमि के प्रीमियम पर टोकेन लीजरेन्ट लिये जाने के सम्बन्ध में ।	विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि रू0।/=टोकेन लीज़रेन्ट पर भूमि दिया जाना सम्भव नहीं है अ इस आशय का पत्र सम्बन्धित विभाग को भेज दिया जाय ।	संयुक्त सचिव-शिक्षा अनुभाग-15 को तथा परियोजना निदेशक, डा0भीमराव अम्बेदकर को निर्णय से, पत्र सं0649/सी.ए., 3.8.90द्वारा सूचित कर दिया गया है ।

क्रमश : - - - -

1	2	3	4	5
15.	15	90वर्ष का लीजरेन्ट जमा होने पर नवीनीकरण की शर्त समाप्त करने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	नोट किया गया ।
16.	16	गोमती नगर योजना में भूखण्ड सं0 बी0 3/20 विश्वास खण्ड की शेष धनराशि पर 16प्रतिशत ब्याज देने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि 16प्रतिशत ब्याज देने का कोई औचित्य नहीं है । अत: धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जाय ।	पक्ष को सूचित किया गया ; परन्तु उन्होंने रिफन्ड नहीं लिया ।पुन: प्रत्यावेदन देने की बात कही है ।
17.	17	श्री जी0एस0नागरा के ।–ए, शाहनज़फ़ रोड, हज़रतगंज, लखनऊ स्थित भवन मानचित्र को शमनित किये जाने के सम्बन्ध में ।	विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि शासनादेश में उद्धृत नियमों के अनुसार सचिव /उपाध्यक्ष निर्णय लेने हेतु सक्षम हैं ।	लिये गये निर्णय के अनुसार शमन की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।
18.	18	प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणियों के वास्तुविदों/मान चित्रकारों के अनुज्ञप्ति शुल्क में संशोधन किये जाने के संबंध में ।	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
19.	19	सामुदायिक केन्द्रों के आरक्षण में प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों को, उनके पुत्र/पुत्री के विवाह में भी 10प्रतिशत किराया लिये जाने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	नोट किया गया ।

क्रमश: – – – –

1	2	3	4	5
20.	20	भूम्उपयोग परिवर्तन हेतु, परिवर्तन शुल्क लिये जाने हेतुं शासनादेश संख्या: 5748/11-5-86-52/मिस/86, दिनाँक: 12अगस्त, 1986 का अनुमोदन ।	उक्त शासनादेश को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित समिति गठित की गई : - उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 अथवा सचिव, तथा मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ0प्र0 अथवा उनके प्रतिनिधि, जो अपनी संस्तुति प्राधिकरण के समक्ष रखेंगे ।	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा अपनी संस्तुति प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी है ।
21.	21	जीप सं0यू. एच. ई. 6483, एम्बेसडर कार सं0यू. डी. डी. 3150 एवं विक्रम सं0 यू. आर. यू. 1656 की नीलामी तथा उनके स्थान पर नये वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि गाड़ियों की निर्धारित लाइफ/चलने की अधिकतम सीमा देखकर उपाध्यक्ष निर्णय ले लें ।	लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
22.	अनु0पू0वि0 संख्या:01	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कतिपय प्रकरणों में दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में विचार कर निर्णय लिया जाना ।	विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के उपरान्त विभिन्न प्रकार के दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश किये गये ।	निर्णय नोट किया गया तथा तद्नुसार ही कार्यवाही की जा रही है ।
23.	02	13, अशोक मार्ग पर प्रस्तुत आफिस काम्पलेक्स के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	विचारोपरांत निर्देश दिया गया इस मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाय ।	मानचित्र की स्वीकृतिके सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है ।

क्रमशः ———

1	2	3	4	5
अनुपूरक विषय				
24.	सं0-03	भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन लि0, 24महात्मा गांधी मार्ग, हज़रतगंज के ग्रुप हाउसिंग मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	विचारोपरांत निर्देश दिया गया कि इस पर शासनादेश के तारतम्य में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाय ।	मानचित्र की स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है ।
25.	04	अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को एक योजना से दूसरी योजना में भवन हस्तांतरित/आवंटित करने के सम्बन्ध में ।	विचार-विमर्श के पश्चात प्रस्ताव यथावत् अनुमोदित किया गया ।	निर्णय नोट किया गया तथा तद्नुसार ही कार्यवाही की जा रही है ।
26.	05	अपोलो अस्पताल के लिये अतिरिक्त 5एकड़ भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रबन्धित समिति में उपाध्यक्ष को सदस्य बनाया जाय । 15एकड़ भूमि प्रचलित दरआवासीय दर को आधी दर पर दी जाय । उपाध्यक्ष/अध्यक्ष के निर्देशानुसार 15प्रतिशत सीमा तक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाय । ल0वि0प्रा0 के वर्तमान/भूतपूर्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों, प्रतिनियुक्ति पर आये अधि0/ कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों एवं वर्तमान तथा भूतपूर्व सदस्यों को परामर्श ,परीक्षण तथा चिकित्सा सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराइ जाय ।	सचिव, आवास, उ.प्र. शासन को इस कार्यालय के पत्र सं07।6/सी.ए.दि0 24.08.90 द्वारा, प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय सूचित कर दिया गया है ।

क्रमश: - -

1	2	3	4	5
27.	अनु0पू0विषय सं0 06	हैप्पी बर्ल्ड स्कूल, सेक्टर "डी" अलीगंज के मानचित्र पर मलवा संजय शुल्क न लिये जाने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरांत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।	लिये गये निर्णय से पक्ष को अवगत करा दिया गया है ।
28.	07	मवैया स्थित ट्रस्ट भूखण्ड संख्या: 363-ए/14के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव समयाभाव के कारण स्थगित किया गया ।	स्थगित प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है ।
29.	08	वर्ष 1985में आई बाढ़ से गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड में निर्मित भवनों के फर्श क्षतिग्रस्त होने के संबंध में मे0 स्सदी कांस्ट्रक्शन द्वारा किये गये कार्य का, उनको भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।	समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया ।	स्थगित प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है ।
30.	09	ला-प्लास योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण कराने की स्थिति के सम्बन्ध में ।	मुख्य अभियन्ता द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्य का उत्तरदायित्व ठेकेदार का नहीं होगा ।	निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जारही है ।
31.	10	सेक्टर "एल" कानपुर रोड योजना का पार्ट ले-आउट प्लान की स्वीकृत ।	विचारोपरांत प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया ।	अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।
32.	11	सेक्टर-आई.सी0पु0रो0यो0 की औपचारिक स्वीकृति के संबंध में ।	विचारोपरांत प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया ।	अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

आर. सिंह,

विषय संख्या: 3 पृष्ठ संख्या: 16

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा सम्पादित बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं अन्य अभियन्त्रण कार्यों की प्रगति आख्या ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए कार्यों एवं अभियन्त्रण कार्यों की प्रगति आख्या अलग से प्रस्तुत की जा रही है ।

विषय : शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड- 1 में 92 उच्च आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु हडको से रु0 151.80 लाख ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड- 1 में 92 उच्च आय वर्ग के भवनों के निर्माण की एक योजना प्रस्तुत की गई है । इस योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है ।

योजना का नाम :	शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड- 1 में 92 उच्च आय वर्ग के भवनों का निर्माण कार्य ।
कार्य स्थल :	रुचि खण्ड- 1, शारदा नगर योजना ।
योजना लागत :	रु0 208.45 लाख ।
भूखण्ड का क्षेत्रफल:	10 मी0×20 मी0 (200.00 वर्ग मी0)
निर्मित क्षेत्रफल :	114.30 वर्ग मीटर
प्रस्तावित निर्माण :	एक ड्राइंग रूम, दो बेड रूम, एक गेस्ट रूम एक लाउंज, दो टायलेट, किचन, स्टोर एवं प्रथम तल पर जाने हेतु सीढ़ी ।
वित्तीय स्त्रोत :	हडको से ऋण ।

इस योजना हेतु हडको से रु0 151.80 लाख का ऋण 13.50 % ब्याज दर (प्रतिवर्ष) पर लेने की अनुमति प्राधिकरण से अपेक्षित है ।

विषय : प्रियदर्शनी योजना (सीतापुर रोड-पश्चिम) की अर्थ विवेचना के सम्बन्ध में ।

आख्या: उपरोक्त योजना का कुल क्षेत्रफल 132 एकड़ है । इसमें 014.26 एकड़ क्षेत्रफल बॉसबल्ली वालों के लिये आरक्षित किया गया था क्योंकि नबीउल्ला रोड से बॉस बल्ली वालों को हटाकर इस क्षेत्र में भूखण्ड आवन्टित किये गये थे । 56.344 एकड़ क्षेत्रफल न्यायालय व्दारा दिये गये स्थागन आदेश से प्रभावित है । इस प्रकार जो क्षेत्रफल विकास हेतु वर्तमान में उपलब्ध है वह 61.396 एकड़ है ।

2. बॉस बल्ली वालों के लिये जो क्षेत्रफल आरक्षित किया गया था, उसके सम्बन्ध में उपाध्यक्ष व्दारा यह निर्णय लिया गया था कि रू0 90/- प्र0व0मी0 की दर से बॉस बल्ली वालों को भूखण्ड दिये जायें । उसमें विकास कार्यों के अन्तर्गत केवल नाली/खड़न्जे का प्राविधान है । इसके अतिरिक्त कोई विकास कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा नहीं कराया जायेगा । इस योजना में रू0 9.00 लाख उपरोक्त कार्यों पर व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया था जबकि वास्तविक व्यय अब तक रू0 6.65 लाख हुआ है ।

3. इस प्रकार विकास के लिये उपलब्ध उपरोक्तानुसार क्षेत्रफल 61.396 एकड़ की अर्थ विवेचना निकाली गई है, जिसका विवरण संलग्न है । इस विवरण के अनुसार भूमि अर्जन तथा विकास की कुल लागत 634.19 लाख आती है ।

4. उपरोक्त योजना में भूखण्डों का आवन्टन दिनांक 28-7-88 तथा दिनांक 3-6-89 को किया गया था । अतः उस समय अन्य योजनाओं में प्रचलित भूमि की दर रू0 450/- प्र0व0मी0 के अनुसार दर लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त जो भूमि अनावन्टित है, उसकी वर्तमान दर रू0 590/- प्र0व0मी0, जो अन्य योजनाओं मे है, के अनुसार लगाई गई है । व्यवसायिक भूमि की दर रू0 1180/- प्र0व0मी0 (आवासीय दर की दो गुनी) लगाई गई है । स्कूलों तथा सार्वजनिक सुविधाओं हेतु वर्तमान आवासीय दर की आधी दर लगाई गई है । इस प्रकार योजना पर कुल आय रू0 687.19 सम्भावित है । इसके अनुसार 8.36% लाभांश संभावित है । परन्तु यह लाभांश बढ़ेगा क्योंकि व्यवसायिक भूमि की दर आवासीय भूमि की दर की दो गुनी प्रस्तावित की गई है जबकि आय अधिक प्राप्त होगी क्योंकि शासन के आदेशानुसार व्यवसायिक भूमि का निस्तारण नीलाम व्दारा किया जायेगा । अतः प्रस्तावित दर से काफी अधिक दर आने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त विकास कार्य पूर्ण होने का समय 3 वर्ष लगाया गया है । चूकिं योजना का क्षेत्रफल बहुत कम है और विकास कार्य भी कम किये जाने हैं, अतः समस्त विकास कार्य दो वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है जिससे कि 3 वर्ष के लिये जो मूल्यावृध्दि हेतु प्राविधान किया गया है, उसमें बचत होगी ।

5. प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

STATEMENT SHOWING FINANCIAL VIABILITY

(Rs. in lacs)

1.	Total income (as per page 7)	687.19
2.	Total expenditure (acq.+Dev. as page 4)	634.19
	Surplus	53.00

Percentage of surplus = $\frac{53.00 \times 100}{634.19} = 8.36\%$

STATEMENT SHOWING TOTAL AREA OF SCHEME

		Acres	Sq.mt.
1.	Total Area under scheme	132.00	5,34,185.52
2.	Area of scrap dealers	14.26	57,708.22
3.	Area under stay	56.344	2,28,016.28
4.	Net area available for development	61.396	2,48,469.106
5.	Saleable area	33.58	1,35,907.48
6.	Non saleable area	27 .81	1,02,561.58
7.	Distribution of saleable area:		

	Gross area	Res	Comm.	School	P.F.	Total saleable
Sec. B	81912	32585	1268	2543	2200	38596
Sec. C	68799	27330	9506	-	-	36836
Sec. D	57508	35648	-	-	-	35648
Reserve Bank	24827.48	24827.48	-	-	-	24827.48
Hot Mix Plant	15422.58	-	-	-	-	-
	248469.06	1,20,390.48	10,774	2543	2200	135907.48

STATEMENT SHOWING ACQUISITION COST

(Rs. per Sq.ft.)

1.	Compensation @ 2.02 per Sq.ft. (including add.compensation and solatium as information by A.E.(acquisition)	2.91
2.	Interest @ 9% (11.7.86 to 10.7.87)	0.26
	Interest @ 15% (11.7.87 to 10.7.88)	0.44
	and @ 15% (11.7.88 to 10.7.91)	0.93
		4.54
3.	Administrative charges @ 5%	0.23
		4.77
4.	Acquisition cost (on sl.No. 1 to 3)	0.29
		5.06
5.	Capital charges @ 3% on Sl.No. 1 i.e. 2.02)	0.06
		5.12

Percentage on the basis of saleable area $\frac{5.12 \times 100}{54.69}$ = Rs. 9.36 P.Sq.ft
or
Rs. 100.77 P.Smt.

Note: Acquisition cost on page No. 1 has been charged on the basis of gross area i.e. 2,48,469.06 @ 5.12 Per sft.

STATEMENT SHOWING DEVELOPMENT COST

		(Rate per Smt.)
1.	Development cost (as per Ann. A)	121.76
2.	Escalation (as per Ann. B)	11.51
		133.27
3.	Physical contingencies/tools & Plants @ 5%	6.66
		139.93
4.	Administrative charges @ 12%	16.79
		156.72
5.	Interest @ 15% (for 6 months)	11.75
		168.47
6.	Maintenance services @ 5%	8.42
		176.89
	Cost on saleable area $\frac{176.89 \times 100}{54.69}$ =	323.44 Per Smt.

Cost of developed land

1.	Cost of acquisition	100.77
2.	Cost of development	323.44
		424.21
3.	Provision for maintenance of assets & unforseen exp. @ 10%	42.42
		466.63
		Rs. in lacs

Total expenditure
(on the basis of saleable area)
1,35,907.40 @ 466.63 per Sq.mt. 634.19

Note: Total project period for the scheme has been assumed three years, Therefore escalation has been charged as per Annx. 'B' for the same period.

As the 60% amount of instalments for the plots has been due & received, so the interest for the project period has been taken for 6 months only.

ANNEXURE 'A'

(A) Internal Development

(i)	Land Development	8,55,000.00
(ii)	Roads	39,14,163.00
(iii)	Sewer	20,24,317.00
(iv)	Nala & Nailya	11,71,309.00
(v)	Water mains	4,09,145.00
(vi)	Parks	2,44,941.00
(vii)	Road divider(Sec. C)	1,26,910.00
		87,45,785.00
	or	87,46,000.00

(B) External Development

(i)	Zonal Roads	27.17
(ii)	Trunk Sewer	31.30
(iii)	Rising main	3.80
(iv)	Over head tank & pump house	30.74
(v)	S.W. Drain	17.83
(vi)	Bio-gas Treatment plant	10.00
(vii)	Sewerage pumping station	7.00
		127.84

(C) Electrification

Electrification @ Rs. 30/-per Sqm.
(71,845 acre) 87,23,000.00

Total (a+b+c) = 3,02,53,000.00

ANNEXURE 'B'

CALCULATION OF ESCALATION

Particulars	Ist Year	2nd year	3rd year
Work to be done	40%	40%	20%
Rate of escalation	5%	10%	15%
Amount	51.14	51.14	25.57
% of escalation	2.56%	5.11	3.84=11.51

STATEMENT SHOWING DIFFERENTIAL RATES/INCOME

Particulars	Category	Total area (Sq,mt.)	Allotted area Sq.mt.	Rate Sq. mt.	Balance area	Rate Sq. mt.	Income for allotted land (Rs. in lacs)	Income for unallotted land (Rs. in lacs)
Sector-D	Resi.	35,648	32514	450/-	3134	5%	146.31	18.49
Sector-C	Resi.	27,330	4114	450/-	23216	5%	18.51	136.97
	Comm.	9,506	-	-	9506	1180/-	-	112.17
Sector-B	Resi.	32,585	32585	-	-	-	146.63	-
	Comm.	1,268	-	-	1268	1180/-	-	-
	School	2,543	-	-	2443	295/-	-	7.21
	P.F.	2,200	-	-	2200	295/-	-	6.49
Reserve Bank	Resi.	24,827.48	24827.48	320/-	-	-	79.45	-
							390.90	296.29

Total Income: 687.19 Lacs

विषय : जनपथ में निर्मित मुख्य भवन की बेसमेन्ट की दुकानों के विक्रय के संबंध में ।

आख्या: जनपथ में निर्मित "बी" टाइप की दुकानों तथा शो रूम्स को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करेन हेतु विषय प्राधिकरण की बैठक दिनाँक:26.7.86में विषय सं0 7 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था ।

2. उपरोक्त बैठक में प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये: –

" जनपथ व्यवसायिक केन्द्र के दुकानों का जो मूल्य निकाला गया उस मूल्य की अदायगी के विषय में विचार विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि दुकानदारों से 75% धनराशि तीन छमाही किश्तों में जमा करा ली जाय और यदि वे समय से जमा कर देते हैं तो उन्हें 5% ब्याज की छूट दी जायेगी और किश्तों पर साढ़े बारह प्रतिशत ब्याज लगेगा । यदि वे समय से निर्धारित किश्तें नहीं जमा करते हैं तो उन्हें साढ़े सत्रह प्रतिशत ब्याज देना होगा । इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि जो लीज पर दी जायेगी वह पूरे नब्बे वर्ष की होगी और 90 वर्ष का लीज रेन्ट भूमि के मूल्य की 10% एकमुश्त जमा करा लिया जायें ।

दुकानदारों को दुकानों के ऊपर छत पर किसी प्रकार के निर्माण तथा उपयोग का अधिकार न होगा ।

इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि जिस सिद्धान्त पर इन दुकानों का विक्रय मूल्य निकाला गया है उसी आधार पर बेसमेन्ट तथा अन्य समस्त दुकानों का मूल्य निकालकर अग्रिम कार्यवाही की जायें ।

उपरोक्त समस्त दुकानदारों को स्ट्रक्चुरल चेन्ज की अनुमति नहीं दी जायेगी । वे केवल मरम्मत का कार्य ही करा सकेंगे । "

3. उपरोक्त निर्णय के पश्चात "बी"टाइप की दुकानों तथा शो रूम्स के विक्रय की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई । इस बीच में बेसमेन्ट के दुकानदारों ने भी उनको आवंटित दुकानों के विक्रय के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन दि0 16.10.86 को प्राधिकरण को दिया परन्तु इस प्रकरण पर कार्यवाही इसलिये रुकी रही क्योंकि "बी" टाइप तथा शो रूम्स के दुकानदार लागत के सम्बन्ध में अपने प्रत्यावेदन देते रहे । उनका प्रत्यावेदन पुन: प्राधिकरण की बैठक दि028.3.87में विषय सं0 19के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि विस्थापित दुकानदार प्रस्तावित विक्रय मूल्य पर दुकाने क्रय करने के लिये सहमत नहीं हैं । प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की बैठक दि026.7.86में लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाँय ।

क्रमश: – – –

4. दुकानदारों को उपरोक्त निर्णय की सूचना दी गई, परन्तु इस पर वे सहमत नहीं हुए और उन्होंने अपना प्रत्यावेदन दिया । अत: विषय पुन: प्राधिकरण की बैठक दिनाँक:24.09.87 में विषय संख्या:20 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया । समस्त पहलुओं पर विचार विमर्श करने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में कोई भी छूट दिया जाना सम्भव नहीं है तथा दिनाँक: 31.12.87 तक प्राधिकरण की पूर्व निर्धारित शर्तों पर दुकाने क्रय करने वालों को ही विक्रय की जायें । विक्रय मूल्य की गणना में भूमि की लागत रू0 110/= प्रति वर्गफुट जो प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 26.07.86 में निर्धारित की गई थी, के अनुसार ही लगाई जायें ।

5. दिनाँक: 01.05.87 से जिला-अधिकारी द्वारा भूमि की दरें पुनरीक्षित कर दी गई थी तथा आवासीय दर रू0 110/= प्रति वर्ग फिट निर्धारित कर दी गई थी । अत: जब उपरोक्त "बी" टाईप तथा शोरूम्स की दुकानों के विषय पर अंतिम निर्णय प्राधिकरण ने अपनी उपरोक्त बैठक दिनाँक:24.09.87 में लिया तो उसके पश्चात बेसमेन्ट की दुकानों के विक्रय मूल्य की गणना का कार्य प्रारम्भ किया गया और इस गणना में भूमि की दर रू0 110/=प्रति वर्ग फिट आवासीय आधार दर ली गई और व्यवसायिक हेतु रू0 220/= प्रति वर्ग फिट लगाई गई । तदनुसार दुकानों के विक्रय हेतु आफर भेजा गया परन्तु दुकानदारों ने मूल्य की स्वीकृति नहीं दी और अपने प्रत्यावेदन देते रहे । इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि पिलिन्थ एरिया रेट बेसमेन्ट की दुकानों हेतु रू0 2,500/= प्रति वर्गकिलोमीटर लिया गया था तथा दुकानों की अवशेष आयु के अनुसार ढाई प्रतिशत ह्रास आयकर अधिनियम के अनुसार घंटा दिया गया था । भूमि की दर आवासीय दर की दो गुनी अर्थात रू0 220/= प्रतिवर्ग फुट लगाई गई ।

6. दुकानदारों का कथन है कि उपरोक्त पिलिन्थ एरिया दर तथा भूमि की दर दोनों ही अधिक है । उनका कथन है कि बेसमेन्ट की दुकानें "बी" टाईप की दुकानों तथा शो रूम की दुकानों की अपेक्षा अच्छी स्थिति में नहीं है । बेसमेन्ट की दुकानों की छतों की ऊंचाई, भी कम है । फर्श साधारण सीमेन्ट की है । बेसमेन्ट की दुकानों में हवा, तथा वेन्टीलेशन का अभाव है तथा इसके अतिरिक्त बेसमेन्ट की दुकानों में ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है । बाथरूम आदि भी नहीं है ।

7. उपरोक्त दुकानदारों के प्रत्यावेदन के तारतम्य में निकाले गये विक्रय मूल्य पर विचार किया गया । जहाँ तक पिलिन्थ एरिया रेट का प्रश्न है, इसे कम किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है । भूमि की दर के सम्बन्ध में दुकानदारों का कहना है कि अनुपातिक रूप में भूमि की लागत उनसे चार्ज की जाये और वह भी उस दर से जिस दर से "बी" टाइप के दुकानदारों से चार्ज की गई है, अर्थात रू0 110/-प्र0व0फुट के अनुसार । इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि जनपथ में बाजार दर, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से कई गुना है । अत: दुकानदारों के इस कथन को

मानना सम्भव नहीं है कि अनुपातिक रूप से भूमि की लागत लगाई जाय, क्योंकि शो रूम्स तथा "बी" टाइप तथा "ए" टाइप की दुकानों में भी भूमि की दर पूरी ही लगाई गई है । परन्तु इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि प्रस्तावित "बी" टाइप की दुकानों तथा शोरूम की दुकानों के बिक्रय के साथ साथ बेसमेन्ट की दुकानों को भी बिक्रय करने का निर्णय प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 26-7-86 में ही लिया गया था । "बी" टाइप के दुकानदार तथा शो-रूम्स के दुकानदार, जैसा कि क्रम सं0 4 में उल्लेख किया गया है, अपना प्रत्यावेदन दिया। अन्ततोगत्वा प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 24-9-87 में अन्तिम निर्णय लिया गया । जैसा कि क्रम स0:5 में उल्लेख किया गया है कि दिनॉक 1-5-87 से जिलाधिकारी व्दारा भूमि की दरें पुनरीक्षित कर दी गई थी परन्तु प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक दिनॉक 24-9-87 में लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित दर से भूमि की दर नहीं लगाई गई थी । इसी आधार पर बेसमेन्ट की दुकानों के मामले में भी भूमि की दर दिनॉक 1-5-87 से पूर्व निधार्रित दर के अनुसार ही लगाने पर विचार कर लिया जाय । (दिनॉक 1-5-87 से पूर्व आवासीय भूमि की दर रू0 55/- प्र0व0फुट निधार्रित थी जिसकी व्यवसायिक दर रू0 110/- प्र0व0फुट होती है जबकि दिनॉक 1-5-87 से भूमि की दर रू0 110/- प्र0व0फुट निधार्रित की गई थी, जिसकी व्यवसायिक दर रू0 220/- प्र0व0फुट होती है) ।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि पेपर मिल (निशातगॅज) में दुकानों के भूखाण्डों के बिक्रय मूल्य का भी एक मामला इसी प्रकार का है जिसमें दुकानदारों ने वर्ष 1987 के प्रारम्भ में दुकानों को बिक्रय करने हेतु अपनी सहमति दी थी । दिनॉक 1-5-87 से जिला अधिकारी व्दारा भूमि की दरें पुनरीक्षित कर दी गई थी। दिनॉक 1-5-87 से पूर्व निशातगॅज क्षेत्र में आवासीय भूमि की दर रू0 27/- प्र0व0फुट थी । चूकिं व्यवसायिक भूमि की दर आवासीय दर की दोगुनी मानी जाती है, अत: दिनॉक 1-5-87 से पूर्व व्यवसायिक दर रू0 54/- प्र0व0फुट लगाई गई थी । उपरोक्त भूखाण्डों वाली दुकानों का बिक्रय मूल्य दिनॉक 1-5-87 के पश्चात् निकाला गया । चूकिं दिनॉक 1-5-87 से भूमि की दर निशातगॅज क्षेत्र में रू0 54/- प्र0व0फुट निधार्रित की गई थी अत: व्यवसायिक भूमि की दो-गुनी दर अर्थात रू0 108/- प्र0व0फुट लगाई गई और इसमें भी 10% अतिरिक्त, 30 फुट चौड़ी रोड पर दुकानें स्थित होने के कारण, लगाई गई जिसके कारण व्यवसायिक भूमि की दर रू0 118.80 प्र0व0फुट हो गई । इस प्रकार दिनॉक 1-5-87 से पूर्व लगाई गई भूमि की दर तथा दिनॉक 1-5-87 के पश्चात् लगाई गई भूमि की दर में भिन्नता है । अत: बिक्रय मूल्य में अन्तर आ गया, जिस पर दुकानदारों ने

विषय संख्या: 7

पृष्ठ संख्या: 30

विषय : कैसरबाग़ बारादरी के आस पास की भूमि पर " कैसरबाग़ गृह संस्थान एवं सड़क योजना" हेतु अर्जन का प्रस्ताव ।

पुरानी योजनाओं के विश्लेषण हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27-10-88 के निर्णय के अनुसार एक उपसमिति का गठन किया गया था । उक्त समिति द्वारा उपरोक्त योजना के सम्बन्ध में अपनी बैठक दिनांक 26-11-90 में विचार विमर्श एवं स्थल सर्वेक्षण के पश्चात अपनी संस्तुति उपरोक्त योजना का प्रस्ताव निरस्त करने हेतु दी है । समिति की रिपोर्ट विकास प्राधिकरण के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही है ।

पुरानी योजनाओं के विश्लेषण हेतु सचिव महोदय की अध्यक्षता में लखनऊ विकास प्राधिकरण की अर्जन समिति की बैठक दिनांक 26-11-90 के लिये विचारार्थ आख्या ।

x=x=x=x=x=x

विषय : कैसरबाग़ बारादरी के आस-पास की भूमि पर "कैसरबाग़ गृह संस्थान एवं सड़क योजना" हेतु अर्जन का प्रस्ताव ।

- - - - - -

आख्या : नगर महापालिका की विकास समिति ने अपने प्रस्ताव संख्या: 7, दिनांक 29-7-65 द्वारा कैसरबाग़ बारादरी क्षेत्र की एक योजना निर्मित करने तथा उसे प्रकाशित करने के प्रश्न पर विचार करते हुए निश्चय किया कि उक्त क्षेत्र को नगर महापालिका अधिनियम की धारा- 357 के अधीन " गृह संस्थान एवं सड़क योजना " के नाम से घोषित तथा प्रकाशित कराया जाये । इस प्रस्ताव पर शासन से स्वीकृति माँगी गई थी, परन्तु शासन ने दिनांक 21-12-65 द्वारा ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए अर्जन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था ।

पुनः स्थल का सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि योजना के अन्तर्गत अनेकों भवन निर्मित हैं, जिन्हे अर्जित किये जाने पर करोड़ों रुपया प्रतिकर के रूप में प्राधिकरण को भुगतान करना होगा और योजना इकोनामिक रूप से लाभप्रद नहीं होगी ।

-:-:-:-:-:-:-:-:-

निर्णय : कैसरबाग़ बारादरी क्षेत्र की भूमि "गृह संस्थान एवं सड़क योजना " सम्बन्धी प्रस्ताव का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त योजना इकोनामिक रूप से लाभप्रद नहीं होगी ।

अतः योजना का प्रस्ताव निरस्त करने की संस्तुति की जाती है ।

ह0/-
संयोजक/प्र0अ0अर्जन

ह0/-
अति0सचिव

ह0/-
मुख्य अभियन्ता

ह0/-
मु0न0नियोजक

ह0/-
का0एका0कम0
इको0 प्लानर

ह0/-
के0के0उपाध्याय
अध्यक्ष
सचिव, लखनऊ विकास
प्राधिकरण, लखनऊ ।

विषय संख्या: 8 पृष्ठ संख्या: 32

विषय : अलीगंज योजना के अन्तर्गत रैदास मन्दिर रेलवे क्रासिंग के निकट अलीगंज सब्जी मण्डी योजना के सम्बन्ध में ।

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27-10-88 के अनुसार पुरानी योजनाओं के विश्लेषण हेतु एक उप समिति का गठन किया गया था । उक्त समिति के समक्ष विचारार्थ एक आख्या तत्कालीन प्रभारी अधिकारी-अर्जन एवं मुख्य नगर नियोजक व्दारा स्थल निरीक्षण करके परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की थी, परन्तु उप समिति के सदस्यों की कार्यावधि समाप्त हो जाने एवं उनके स्थान पर लगभग एक वर्ष से किसी सदस्य को नामित न किये जाने के कारण इस आख्या पर विचार नहीं किया जा सका ।

श्री अजय कुमार एवं अन्य व्दारा माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत प्रत्यावेदन (संलग्न) के आधार पर उक्त आख्या प्राधिकरण के विचारार्थ इस आशय से प्रस्तुत है कि प्राधिकरण उक्त सन्दर्भ के निस्तारण हेतु उपसमिति का गठन करने अथवा स्वयं अन्तिम निर्णय लेने का कष्ट करें ।

विषय : वर्ष 1985 में आई बाढ़ से गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड में निर्मित भवनों के फर्श क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में मेसर्स रूतदी कान्स्ट्रक्शन्स द्वारा उनको भुगतान किया जाना ।

=======

वर्ष 1985 में गोमती नगर योजना में आई भीषण बाढ़ से विश्वास खण्ड में बने हुए कुछ भवनों के फर्श बैठ गये थे । बाढ़ के समय भवनों का निर्माण कार्य चल रहा था । दैवी विपदा से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए तत्कालीन उपाध्यक्ष ने आदेश प्रदान किये कि इन फर्शों को पुन: निर्मित किया जाये, इस हेतु सीमेन्ट फ्री आफ कास्ट ठेकेदारों को दी जाये तथा मज़दूरी की लागत भी दी जायें । परन्तु लेखा विभाग/ महालेखाकार आडिट तथा विधि सलाहकार, ने आपत्ति उठाई कि कार्य के चालू रहने की दशा में अनुबन्ध की धारा-24 के अन्तर्गत ठेकेदार का दायित्व है कि उन फर्शों को वह ठीक करें । अत: उपाध्यक्ष ने इस आधार पर अपनी उपरोक्त स्वीकृति को रद्द कर दिया तथा ठेकेदार को इसका भुगतान नहीं हो सका ।

ठेकेदार ने इन आदेशों के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर मुख्य अभियन्ता की संस्तुति पर उपाध्यक्ष ने सचिव, मुख्य लेखा-अधिकारी, मुख्य अभियन्ता तथा कास्ट एकाउन्टेन्ट को एक कमेटी के गठन के आदेश दिनांक 24-9-88 को दिये ।

उक्त समिति ने अपनी बैठक दिनांक जनवरी-6, 1989 में इस मामले में पूर्ण विचार किया । लेखा सम्बन्धित आपत्ति तथा मुख्य विधि सलाहकार की राय पर भी स्पष्ट रूप से विचार किया गया तथा इस सन्दर्भ में यह पाया गया कि मुख्य अभियन्ता ने आडिट को जो उत्तर प्रस्तुत किया था उसमें यह दर्शित किया है कि :-

" जो भी भवन विभाग द्वारा बनाये जाते हैं, वे सामान्य परिस्थितियों में आवासीय होते हैं । वर्ष 1985 की भीषण बाढ़ में इस ठेकेदार द्वारा निर्मित सभी भवनों में लगभग 3 फिट तक पानी 20, 25 दिन तक भरा रहा जिससे फर्श बैठ गये जब बैठे हुए फर्शों को दुबारा बनाने हेतु तोड़कर निकाला गया तो पाया गया कि निर्मित फर्श अत्यन्त मज़बूत एवं उच्च श्रेणी के थे । इसके बावजूद ठेकेदार ने चालू अनुबन्ध के अन्तर्गत ही फर्शों को दुबारा बना दिया है जिसका फिलहाल कोई भुगतान उसे नही दिया गया है परन्तु भुगतान का उक्त विषय विभाग में विचाराधीन है " ।

इस समिति ने परिस्थितियों की विवेचना उपरान्त यह निर्णय लिया कि :

" नियमानुसार विवाद में उपाध्यक्ष महोदय का निर्णय ही अन्तिम होता है परन्तु समस्त पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त समिति का मत है कि उपाध्यक्ष महोदय अपने पूर्वाधिकारी के निर्णय को निम्नवत् सीमा तक संशोधित करने के आदेश प्रदान करें "।

1. ठेकेदार को सीमेन्ट तथा लेबर फ्री-आफ्-कास्ट दे दी जाये क्योंकि दैवीय आपत्ति से कोई हानि को एक सीमा तक ठेकेदार को भी वहन करना चाहिये तथा एक सीमा तक प्राधिकरण भी सहायता के रूप में पूर्ति करें ।

2. बाढ़ से अन्य ठेकेदारों को भी हानि हुई होगी उन मामलों को मेरिट के आधार पर देखा जायेगा तथा किसी मामले में भी सामान तथा लेबर फ्री देने के अतिरिक्त अन्य मदों की कास्ट नहीं दी जायेगी ।

सम्पूर्ण विषय विचारार्थ प्राधिकरण की बैठक में अन्तिम रूप से दिनांक 21-6-89 को निम्नलिखित प्रस्ताव द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था।

प्रस्ताव – मामले की परिस्थितियों में अकल्पनीय दैवीय आपदा को देखते हुए फ्लैटों के पुर्ननिर्माण में लेबर और सीमेन्ट पर आया व्यय ठेकेदारों को इस शर्त पर प्रतिपूर्ति कर दिया जाय कि अन्य व्यय ठेकेदार स्वयं वहन करेंगे ।

इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गया :-

निर्णय : गोमती नगर मे हुए भीषण बाढ़ ग्रस्त हुई फ्लैटों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि आवन्टियों से जो अतिरिक्त मूल्य लिया गया है वह उचित नहीं था और उसे वापस कर दिया जाय तथा पूर्ण अतिरिक्त व्यय भार ठेकेदार स्वयं वहन करें ।

प्राधिकरण बोर्ड के उक्त प्रस्ताव के निर्णयानुसार वर्तमान में ठेकेदार को इन भवनों की फ्लैटों के पुन: निर्मित किये जाने का भुगतान किया जाना प्राधिकरण द्वारा सम्भव नहीं है ।

उक्त निर्णय के आधार पर अभी आवन्टियों से वसूली गयी अतिरिक्त धनराशि वापस नहीं ली गई है । ठेकेदार ने पुनः माननीय मुख्य मन्त्री जी को एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जिसमें ठेकेदार ने प्राधिकरण द्वारा उक्त क्षेत्र में बाढ़ के पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था न कराये जाने के कारण भवनों में 20-25 दिन तक पानी भरा रहने के कारण फर्श क्षतिग्रस्त हो गये थे जिनका पुर्ननिर्माण प्राधिकरण द्वारा दिये गये इस आश्वासन पर पूरा कराया गया है कि सीमेन्ट तथा लेबर व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा। इस आधार पर ठेकेदार ने पुनः इस बिन्दु पर विचार कर निर्णय लेने हेतु प्रार्थना की है ।

वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखाते हुए प्राधिकरण के समक्ष यह विषय पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है कि क्या:-

1- वर्ष 1985 में आई भीषाण बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त भवनों के पुनः निर्माण हेतु पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार सीमेन्ट आदि की धनराशि जो कि आवन्टियों से अतिरिक्त मूल्य के रूप में वसूल की जा चुकी है, आवन्टियों को वापस कर दी जाय ?

2- दिये गये पूर्व के आश्वासन को दृष्टिगत रखाते हुए फर्श के पुर्न निर्माण में लेबर और सीमेन्ट पर आया व्यय ठेकेदार को इस शर्त पर प्रतिपूर्ति कर दिया जाय कि अन्य व्यय ठेकेदार स्वयं वहन करें ?

विषय : अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों / कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधी दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या: उपरोक्त विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-3-87 में विषय संख्या: 6 के अन्तर्गत रखा गया था ।

2. उपरोक्त खिलाड़ियों/कलाकारों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय लेने हेतु चयन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा प्राधिकरण के दो गैर सरकारी सदस्य, सदस्य नामित किये गये थे ।

3. चूंकि वर्तमान में प्राधिकरण के कोई गैर सरकारी सदस्य नहीं हैं अत: अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 2-6-90 द्वारा निम्न समिति का गठन किया गया था :

I-	उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0	अध्यक्ष
II-	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
III-	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम	सदस्य

4. प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 28-3-87 में निम्न मापदण्ड निर्धारित किये थे :

I. जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेल एवं कला में कीर्तिमान स्थापित किया हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की हो ।

II. खेल जगत में इक्सप्लोरेशन (अन्वेषण/खोज) एवं साहित्यिक कार्य भी सम्मिलित होंगे ।

III. कला का तात्पर्य संगीत, नृत्य एवं चित्रकला, शिल्प एवं वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से होगा ।

IV. इस योजना में आवन्टित भूखण्डों का मूल्य पाँच वर्षों में देय होगा ।

5. उपरोक्त निर्णय के पश्चात् उप समिति की बैठकें दिनांक 1-9-87, दिनांक 14-6-88 तथा 8-6-90 को हुई जिनमें अभी तक कुल 24 ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में रियायती दर पर भूखण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया है । इसका

क्रमश:——

विवरण निम्नवत् है :

उपसमिति की बैठक की तिथि	निर्णय के अनुसार भूखाण्डों की संख्या	वास्तव में आवन्टित भूखाण्डों की संख्या
1-9-87	2	1
14-6-88	10	7
8-6-90	12	2
	24	10

इस प्रकार केवल 10 आवेदकों को उपरोक्त सुविधा दी गई है । शेष आवेदकों ने अभी तक औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की हैं, जिसके कारण उन्हे आधी दर पर भूखाण्ड दिये जाने की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी है।

6. चूँकि अब प्राधिकरण की योजनाओं में भूमि कम है, अत: अब उपरोक्त सुविधा देने में कठिनाई प्रतीत होती है । साथ ही मूल्य वृध्दि के कारण अधिक मात्रा में प्रार्थना-पत्र भी आने के कारण उपरोक्त सुविधा दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

प्रस्ताव

प्राधिकरण कृपया उपरोक्त बैठक दिनाँक 28-3-87 में लिये गये निर्णय को निरस्त करने पर विचार करने का कष्ट करें ।

विषय : विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता
==== की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या: उ0प्र0 शासन के सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 शासनादेश संख्या: 2461/44-1
=====
/38-13/वै0सा0/88 दिनांक: 8नवम्बर, 1988 के अनुसार राज्य पाल महोदय ने सार्वजनिक उद्यमों के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों /कर्मचारियों को रू0 30/=प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता दिनांक: 14. 8. 88से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है । जिसके अनुपालन मेंजल संस्थान, लखनऊ ने अपने आदेश संख्या: 44/1/सचिव दिनांक: 09. 04. 90 द्वारा समस्त पूर्ण कालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को 30/=प्रतिमाह की दर से दिनांक: 14. 8. 88से दिया जा रहा है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में अधिकारियों / कर्मचारियों को यह सुविधा वर्ष 1978 से सार्वजनिक संस्थानों की भांति निर्धारित दरों पर भुगतान किया जाता है । वर्त्तमान समय में लखनऊ विकास प्राधिकरण में रू0 1000/= तक के अधिकारियों /कर्मचारियों को रू0 20/=की दर से यह सुविधा प्रदान की जा रही है । अब कर्मचारियों ने मांग की है कि उ0 प्र0 जल संस्थान के आदेश संख्या: 44/1/सचिव, दिनांक: 9. 4. 90के अनुसार दिनांक: 14. 8. 88 से रू0 30/=प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाय ।

उपाध्यक्ष ने अपने आदेश दिनांक 22-10-90 द्वारा इसे निर्णय हेतु प्राधिकरण में प्रस्तुत करने तथा स्वीकृति की दशा में भुगतान 1-11-90 से किये जाने के आदेश दिये हैं ।

अत: प्राधिकरण के समक्ष प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

आर. सिंह,

विषय संख्या: 12 पृष्ठ संख्या: 39

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण, के कर्मचारियों को नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा किये गये संशोधन को लागू करने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, की स्थापना के उपरान्त प्राधिकरण, के कर्मचारियों पर लखनऊ नगर महापालिका के कर्मचारी पेन्शन विनियम 1962 लागू किये गये थे, जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण, के कर्मचारियों की पेन्शन तथा सामान्य भविष्य निधि का संचालन इसी आधार पर किया जाता है । पेन्शन विनियम में यदि महापालिका, द्वारा कोई संशोधन किये जाते हैं, तो उनको प्राधिकरण में अंगीकृत किया जाना चाहिये ।

शासन ने वित्त सामान्य अनुभाग-3- 1168/10-935-87 दिनांक 22-6-87 द्वारा 1-1-86 से पेन्शन के आगणन का सरलीकरण/ उदारीकरण किया था, इस राजाज्ञा को लखनऊ नगर महापालिका, द्वारा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश 3 अक्तूबर, 1987 द्वारा नगर महापालिका पेन्शन विनियम के आंशिक संशोधन करके शासनादेश के अनुसार पेन्शन का लाभ अनुमन्य करने, शासन पध्दति से पेन्शन की गणना, राहत की अनुमन्यता के लिये अंगीकृत करके लागू किया । शासनादेश तथा सरकारी गजट की प्रतिलिपि सूचनार्थ तथा अवलोकनार्थ संलग्न है ।

नगर महापालिका द्वारा किये गये आंशिक संशोधन को प्राधिकरण, में भी लागू करने तथा संशोधन को अनुमोदित करने के आदेश प्रार्थनीय है क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण, में लखनऊ नगर महापालिका की पेन्शन नियमावली पहले से ही लागू है । साथ ही साथ 1-1-86 के नये वेतनमान के लागू हो जाने के उपरान्त यह संशोधन आवश्यक प्रतीत होता है ।

प्राधिकरण से इसका अनुमोदन वान्छित है ।

अनुलग्नक संख्या: 1

रजिस्टर्ड नं0 एच0डी0-4, लाइसेन्स नं0डब्लू0पी0-41
(लाइसेन्सडट्र पोस्ट विदाउट प्रीपमेन्ट)

सील

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित
इलाहाबाद, शनिवार, 3 अक्टूबर, 1987 ई0 (आश्विन 11, 1909 शक संवत)

भाग- 8

नगर महापालिका, लखनऊ पेंशन विनियम (आंशिक संशोधन)

सूचना

प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ के रूप में मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अशोक कुमार, महापालिका एवं कार्यकारिणी समिति की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित संकल्प संख्या: 2135, दिनांक: 12 अगस्त, 1987 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की यथा-संशोधित धारा-349 की उपधारा 3 में प्राविधानित है, प्रदान करते हुये शासकीय गजट में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित करता हूँ जो दिनांक: 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी होंगे।

1. पेंशन- लखनऊ नगर महापालिका में प्रभावी पेंशन उप नियम 1962 के तहत दिनांक: 21 दिसम्बर, 1985 एवं 30 अगस्त, 1986 से प्रभावी शासनादेश संख्या: 3-1168/दस-935-87 दिनांक 22 जून, 1987 के तहत महापालिका लखनऊ अपने पेंशनरों की जो दिनांक: 1 जनवरी, 1986 अथवा उसके उपरान्त सेवा-निवृत्त-मृत हों, को उक्त शासनादेश के अनुसार पेंशन का लाभ अनुमन्य करती है। उक्त तिथि के पूर्व सेवा निवृत्त/मृत सेवकों के सम्बन्ध में प्रस्तर 2-1 के अनुसार भविष्य में निर्गत शासनादेशों के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी। महापालिका पद्धति से पेंशन की गणना राहत की अनुमन्यता के लिये उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3-1 व 3-2 में उल्लिखित प्रक्रिया अपनाई जावेगी। शासनादेश के प्रस्तर 4-1 व 4-2 के अन्तर्गत किये गये प्राविधान दिनांक: 1 जनवरी, 1986 से लागू माने जावेंगे।

2. सेवा निवृत्त एवं मृत ग्रेच्युटी-महापालिका पेंशन विनियम संख्या: 7 में सेवा निवृत्त एवं मृत ग्रेच्युटी का प्राविधान है। शासनादेश संख्या वित्त (सामान्य) अनुभाग-3-1168/दस-935-87 दिनांक: 22 जून, 1987 के पैरा 6-1 में 8 से दो भागों में विभाजित कर दिया गया है -

क्रमशः - -

§1§ सेवा निवृत्त ग्रेच्युटी यह केवल उन्हीं कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जिन्होंने 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है । सेवा-निवृत्त ग्रेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिये अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी तथा जिसका अधिकतम परिलब्धियों के 16 1/2गुने के बराबर होगा । अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि रुपया एक लाख से अधिक नहीं होगी । रिटायरमेन्टी ग्रेच्युटी के आगणन हेतु ली जाने वाली परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

नोट- पेंशन विनियम 7 के बाद नया पेंशन विनियम 7§अ§ निम्नवत जोड़ा जाय:-

§2§ सेवारत मृत ग्रेच्युटी- सेवा में रहते मृत्यु हो जाने की दशा में सेवारत मृत्यु ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी, जिसकी दरें निम्नवत् होगी : -

	सेवा अवधि	सेवारत मृत ग्रेच्युटी
1.	दो वर्ष तक	परिलब्धियों का 2 गुना ।
2.	दो वर्ष से अधिक और 5वर्ष से कम	परिलब्धियों का 6 गुना ।
3.	5वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20वर्ष से कम	परिलब्धियों 12 गुना ।
4.	20वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के आधे के बराबर जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33गुने के बराबर होगी, अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि ग्रेच्युटी की धनराशि किसी भी दशा में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

आगणन योग्य परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी । इस प्रकार पेंशन विनियम 7 के समस्त उप विनियम एतद्द्वारा संशोधित माने जायेंगे ।

महापालिका पेंशनविनियम 9§2§ §ख§ के स्थान पर निम्न प्रति स्थापित किया जाय : -

§2§ पारिवारिक पेंशन -

पारिवारिक पेंशन की दरें निम्नवत् होगी । इन दरों में 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ते को सम्मिलिति कर लिया गया है: -

मूल वेतन प्रतिमाह	पारिवारिक पेंशन की मासिक दरें जिसमें 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ता सम्मिलित कर लिया गया है ।
1. रुपया 1,500से अनधिक	मूल वेतन का 30 प्रतिशत

क्रमशः - - -

2.	रुपया 1,500से अधिककिन्तु रुपया 3,000से अनधिक	मूल वेतन का 20प्रतिशत जिसका न्यूनतम रुपया 450प्रतिमाह होगा ।
3.	रुपया 3000से अधिक	मूल वेतन का 15प्रतिशत जिसका न्यूनतम रुपया 600तथा अधिकतम रुपया 1,250 होगा ।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर 8-1 व 8-2 के प्राविधान यथावत् लागू माने जायेंगे ।

अशोक कुमार
प्रशासक

संलग्नक संख्या: 2

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या सा-3-1168/दस-935-87
लखनऊ, दिनांक: 22जून, 1987

कार्यालय ज्ञाप
-x-x-x-x-x-

विषय: - 1-1-86अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त/मृतक राज्य कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन का का सरलीकरण/उदारीकरण

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने दिनांक: 1.1.86अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों तथा सेवारत मृत्यु हो जाने वाले सरकारी सेवकों के परिवारों के लिये पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन की प्रक्रिया तथा दरों में निम्न संशोधन किये हैं : -

लागू करने की तिथि

2-1 यह आदेश उन सरकारी सेवकों को पेंशन/परिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में लागू होंगे जो 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त हुए हों अथवा जिनकी मृत्यु 1-1-86अथवा उसके उपरान्त हुई हो । जो सरकारी सेवक 1-1-86 के पूर्व सेवा निवृत्त /मृत हो चुके थे उनके सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं ।

2.2—1-1-86के बाद सेवा निवृत्त अथवा मृतक सरकारी सेवकों के जिन मामलों में पेंशने/पारिवारिक पेंशने निर्धारित की जा चुकी हैं उन्हें इन आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित कर दिया जायेगा ।

परिलब्धियाँ

3.1—इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत पेंशनरों एवं मृत्यु संबंधी समस्त लाभों के आगणन हेतु परिलब्धियों का अभिप्राय मूल नियम 9(21)(1)में परिभाषित मूल वेतन से होगा । पेंशन का आगणन सेवा निवृत्त के पूर्व ठीक 10माह के औसत के आधार पर किया जोयेगा तथा अन्य पेंशनरी लाभों के आगणन हेतु परिलब्धियों का अभिप्राय मूल नियम 9(21)(1)में परिभाषित अन्तिम आहरित मूल वेतन से होगा ।

कृपया

क्रमशः - -

3.2—पेंशनीय लाभों के आगणन हेतु उपरोक्त प्रस्तर 3.1 के अनुसार आगणित परिलब्धियों में महंगाई के 608मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ता जो शासनादेश संख्या:वे0आ0071 5/दस66एम$-1982, दिनांक: 1-4-1986के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था को भी सम्मिलित किया जायेगा । साथ ही शासनादेश संख्या-वे0आ0312/दस-7$एम$-84 दिनांक: 6. 2. 1985संख्या-वे0आ0 1-2425/दस-7 $एम$-84, दिनांक÷15. 10. 1985 तथा संख्या:वे0आ0-1-742/दस-7$एम$-84, दिनांक:01. 04. 1986 के अन्तर्गत स्वीकृत तदर्थ महंगाई भत्ते को भी यथा स्थिति सम्मिलित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त पेंशन के आगणन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक=1. 1. 86के उपरान्त स्वीकृत अन्तरिम सहायता की किश्तों को भी सम्मिलित किया जायेगा । औसत परिलब्धियों के आगणन हेतु मंहगाई भत्ते /तदर्थ मंहगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता का आगणन सेवा निवृत्ति के पीछे के 10मासों के औसत के आधार पर किया जायेगा । 1. 1. 86 के पूर्व के मासों के लिये देय 568मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ते को ही परिलब्धियों में जोड़ा जायेगा ।

4.1—10वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी जिसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिये आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी ।

4.2—पेंशन का आगणन 1-1-86के पूर्व लागू स्लैब सिस्टम के बजाय औसत परिलब्धियों के 50प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा और उसका अधिकतम 4500रू0 होगा ।

अतिरिक्त पेंशन के आधार पर राशिकरण

5.1—इन आदेशों के अन्तर्गत किये गये पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप यदि पेंशन में वृद्धि हुई हो तो उस वृद्धि के एक तिहाई के आधार पर राशिकरण की धनराशि की पुनरीक्षत की जा सकती है और अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जा सकता है ।

डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी

6.1—वर्तमान में अनुमन्य डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के स्थान पर रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी तथा डेथ ग्रेच्युटी के अलग-अलग प्राविधान किये जाते हैं । रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी केवल उन्हीं सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगी जिन्होंने 5वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है । रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये अन्तिम आहरित परिलब्धियों

क्रमशः - -

के 1/4के बराबर होगी तथा जिसका अधिकतम परिलब्धियों के 16-1/2गुने के बराबर होगा, अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि रुपया एक लाखा से अधिक नहीं होगी । रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के आगणन हेतु भी जानेवाली परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहींरहेगी

6.2—सेवारत मृत्यु होने की दशा में डेथ ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी जिसकी दरें निम्नवत् होंगी : -

सेवा-अवधि	डेथ ग्रेच्युटी की दर
1- एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुना ।
2- एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5वर्ष से कम	परिलब्धियों का 6गुना ।
3- 5वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12गुना ।
4- 20वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के आधे के बराबर जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33गुने के बराबर होगी, अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि ग्रेच्युटी की धनराशि किसी भी दशामें एक लाखरुपये से अधिक नहीं होगी ।

आगणन योग्य परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन की दरें निम्नवत् होंगी । इन दरों में 608मूल्य सूचकांक के बराबर मंहगाई भत्ते को सम्मिलित कर लिया गया है : -

	मूल वेतन प्रति माह	पारिवारिक पेंशन की मासिक दर जिसमें 608मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ता सम्मिलित कर लिया गया है ।
1.	1,500रुपये अनधिक	मूल वेतन का 30प्रतिशत
2.	1500रुपये से अधिक किन्तु 3,000रुपये से अनधिक	मूल वेतन का 20प्रतिशत जिसका न्यूनतम 450रुपये प्रति माह होगा ।
3.	3,000रुपये से अधिक	मूल वेतन का 15प्रतिशत जिसका न्यूनतम 600रुपये तथा अधिकतम1,250रुपये होगा ।

दिनांक:1-1-1986तथा वर्तमान तिथि के बीच सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

- - - -

पुनरीक्षित वेतन मान लागू किये गये हैं । राज्य सरकार द्वारा अपने सेवकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु एक वेतन समिति का गठन किया गया है जिसकी सिफारिशें अभी अपेक्षित हैं । अतः उपरोक्त अवधि में सेवा निवृत्त पेंशनरों के नये वेतनमानों के आधार पर पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा ... करनी होगी । तदुपरान्त उपरोक्त अवधि में सेवा निवृत्त सभी सरकारी सेवकों को यह विकल्प उपलब्ध कराया जाना होगा कि वे पुराने वेतनमानों के तथा पेंशन के आगणन की तत्समय उपलब्ध व्यवस्था के आधार पर अपनी पेंशन का आगणन करा लें अथवा नये वेतनमानों अथवा नयी पेंशन व्यवस्था के आधार पर अपनी पेंशन का आगणन करायें ।

8.2- -इस अवधि के बीच सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार पेंशनरी लाभों का पुनरीक्षण सम्बन्धित पेंशन स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा । यदि कोई पेंशनर उपरोक्त प्रस्तर 8.1 में उल्लिखित वेतन समिति की सिफारिशों पर वेतनमानों के पुनरीक्षण के पूर्व ही अपनी पेंशन पुनरीक्षित करवाना चाहता है तो उसे यह छूट होगी कि वह अपना प्रार्थना पत्र उसके पूर्व ही सम्बन्धित पेंशन स्वीकृत कर्ता अधिकारी को भेज दे । पेंशन के पुनरीक्षण हेतु आवश्यक प्रार्थना पत्र का प्रारूप भी संलग्न है ।

9.1--उपरोक्त आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यों , शिक्षा विभाग के गैर-सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा निगमों आदि के सेवकों पर स्वतः लागू नहीं समझे जायेंगे । उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा ।

वी० के० सक्सेना,
प्रमुख सचिव,
वित्त

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

- - - - -

क्रमशः - -

संख्या: सा-3-1168(1)/दस-935-87तादिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - -

1- महालेखाकार (द्वितीय लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3- विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय ।
4- राज्यपाल सचिवालय ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- सूचना निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को प्रचारार्थ ।
8- श्री पी0सी0भाटिया, प्रेसीडेन्ट फेडरेशन आफ यू. पी. पेंशनर्स एसोसियेशन, 3-सी-9, पार्क रोड, लखनऊ ।
9- श्री डी0पी0 मेहरोत्रा, अध्यक्ष, आल इंडिया आर्गनाइजेशन आफ पेंशनर्स, 113/20स्वरूप नगर, कानपुर ।
10- श्री एस0पी0पचौरी, यू. पी. राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद, 343, राजेन्द्र नगर, पांचवा मार्ग, लखनऊ ।
11- श्री एम0पी0श्रीवास्तव, जनरल सेक्रेट्री, गवर्नमेन्ट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन, माडल हाउस, लखनऊ ।
12- श्री एल0एन0गुप्ता, अध्यक्ष, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसियेशन, डी-62, पाडुरंग वाडी, ए0वी0नायर रोड, जुहू, बम्बई-400049.

आज्ञा से,
वेद प्रकाश अग्रवाल,
संयुक्त सचिव ।

शासनादेश संख्या- - - - - - - - - - - - - दिनांक:- - - - - -
के अन्तर्गत पेंशन पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र
- - - - - - - - - - - - - - - - -

सेवा में,
- - - - - - - - - - - - -(महालेखाकार अथवा मुख्य लेखाधिकारी,
- - - - - - - - - - - - - - - का पद नाम एवं पूरा पता)
- - - - - - - - - - - - -

1- प्रार्थी का नाम
2- पिता/पति का नाम
3- सेवा निवृत्त के समय धारित पद
4- कार्यालय/विभाग का पूरा नाम एवं पता जहाँ से सेवा निवृत्त हुए ।
5- पी0पी0 ओ0 संख्या- -
6- स्वीकृत पेंशन की धनराशि - -
(1)- राशिकरण के पूर्व - - - - - - - - - - - - - - - -
(11)-राशिकरण के बाद - - - - - - - - - - - - - - - -
7- कोषागार जहाँ से पेंशन आहरित होती है - -
8- पेंशनर की मृत्यु हो जाने की दशा में जीवन कालीन अवशेष पाने वाले का नाम व पता ।
9- क्या अतिरिक्त पेंशन का राशिकरण चाहते हैं : - -

भवदीय,
- - - - - -
(पेंशनर का पूरा नाम एवं पता)

दिनांक:- - - - - - -

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0--18सा0भाषा 10-7-87(1420)-1987-12,000(दि0) ।

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साइकिल भत्ते में वृध्दि के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने प्रार्थनापत्र द्वारा यह अनुरोध किया है कि उन्हे कार्यालय कार्य से बाहर एवं अन्य कार्यालयों में आना जाना पड़ता है इस कार्य हेतु यह लोग अपनी निजी साइकिल का प्रयोग करते हैं जिसके लिये इन्हे समया 40/- साइकिल भत्ता मिलता है । इन कर्मचारियों ने अपने प्रार्थना-पत्र द्वारा यह अनुरोध किया है कि विगत दिनों में एक बैठक में अन्य वाहनों के भत्ते बढ़ा दिये गये हैं परन्तु साइकिल भत्ते में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, अन्य वाहन भत्तों की भाँति साइकिल भत्ते में भी बढ़ोत्तरी की जाये ।

उपरोक्त अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि वर्तमान समय में साइकिल के पुर्जों टायर-ट्यूब, पँचर आदि के दामों में वृध्दि हुयी है साथ ही साइकिल स्टैन्ड पर जमा करने के शुल्क में काफ़ी वृध्दि हुई है जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों को भी साइकिल को ठीक ढँग से रखने तथा दिन-प्रतिदिन अपने दैनिक कार्यों के निर्वहिन हेतु अपेक्षा से कहीं अधिक व्यय वहन करना पड़ता है जिससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं होगा ।

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 25 जनवरी, 1990 में अधिकारियों एवँ कर्मचारियों को दिये जा रहे वाहन भत्ते की दरों में जो वृध्दि की गई है वह निम्न प्रकार है :-

वाहन का नाम	पूर्व में दी जा रही दरें	दिनाँक 25 जनवरी 90 से दी जा रही दरें
1- मोटर कार	रु0 325/- प्रतिमाह	रु0 400/- प्रतिमाह
2- मोटर साइकिल/ स्कूटर	रु0 120/- प्रतिमाह	रु0 175/- प्रतिमाह
3- साइकिल	रु0 40/- प्रतिमाह	रु0 ---

अत: उपरोक्त प्रस्ताव एवँ दरों को दृष्टिगत रखते हुए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हे साइकिल भत्ता विभाग द्वारा दिया जा रहा है उनके भत्तों में रु0 40/- के स्थान पर रु0 70/- प्रतिमाह की दर से वृध्दि किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक हेतु प्रस्तुत है ।

विषय : कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरानी लागत पर भवन दिये जाने के संबंध में ।

आख्या : वर्ष 1983 में तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि चूँकि अन्य विभाग अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को कुछ न कुछ सुविधा देते हैं । अत: लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन पुरानी लागत पर ही आवंटित किये जांय । इसमें यह माना जायें कि जिस समय भवन पूर्ण हुआ था, उस समय की लागत पर कर्मचारी/अधिकारी को भवन आवंटित हेा गया था, परन्तु इसमें प्रतिबन्ध यह रहेगा कि बाद में जिस तिथि को भी भवन आवंटित होगा, उस तिथि तक जितनी भी किश्तें अवशेष होगी, वे सभी एक मुश्त ली जायं । तद्नुसार ही अब तक कर्मचारियों/अधिकारियों को आवंटित भवनों के सम्बन्ध में कास्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती रही ।

2. यह विषय तत्कालीन उपाध्यक्ष को माह जून, 89 में प्रस्तुत किया गया था जिस पर उन्होंने नीति निर्धारित करने के लिये प्राधिकरण में रखने हेतु आदेश दिया था । प्राधिकरण में रखने में पूर्व यह निर्णय लिया गया कि अन्य विकास प्राधिकरणों तथा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद से भी इस सम्बन्ध में ज्ञात कर लिया जाय । तद्नुसार सभी विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से पत्र व्यवहार होता रहा, जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, वे संलग्न है ।

3. प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों /अधिकारियों को आवंटित भवनों में लाभांश न लिये जाने के सम्बन्ध में विषय प्राधिकरण की बैठक दिनाँक:7/27, 10.88 में प्रस्तुत किया गया था । साथ ही यह भी प्रस्तावित किया गया था कि धनराशि की वसूली 15 वर्षों के स्थान पर 20 वर्षों में की जाय । प्राधिकरण द्वारा यह प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया था कि इस निर्णय की तिथि के बाद होने वाले आवंटन पर ही यह लागू होगा । अत: उपरोक्त तिथि के पश्चात जो आवंटन हुए हैं, उनमें उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही की गई है ।

4. अत: प्राधिकरण कृपया उपरोक्त आख्या के सापेक्ष में निर्णय लेने का कष्ट करें ।

आर. सिंह,

विभिन्न विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से प्राप्त हुए उत्तर :-

क्रमांक	विभाग का नाम	प्रचलित प्रक्रिया
1.	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	नगर महापालिका एवं विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना किसी लाभ हानि के भूखण्ड/भवन आवंटित किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त ब्याज की दर में भी 3%की छूट दी जाती है तथा स्टाफ को किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जाती है ।
2.	मुरादाबाद वि0 प्राधिकरण	शासनादेश दिनाँक:3.4.86 द्वारा भवनों/ भूखण्डों में विभिन्न वर्गों के लिये आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है ।
3.	वाराणसी विकास प्राधिकरण	अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित भवनों का मूल्यांकन जनता को बेचे जाने वाले भवनों की भाँति ही किया जाता है। केवल कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाती है कि मूल्यांकन में सम्मिलित लाभ कर्मचारियों /अधिकारियों से नहीं लिया जाता है । यदि कोई कर्मचारी किराये पर आवंटित भवन को क्रय करना चाहता है तो उससे पूर्व में निर्मित वास्तविक मूल्य एवं भूमि का मूल्य आवंटन की तिथि को प्रचलित दर पर लिया जाता है और सभी किस्तें एक मुश्त जमा कराकर उसे हायर परचेज पर आवंटित किया जाता है ।
4.	मेरठ विकास प्राधिकरण	प्राधिकरण के कर्मचारी / अधिकारी को आवंटित किये जाने वाले भवनों/भूखण्डों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है । सामान्य आवेदकों की भाँति नियमानुसार भुगतान पद्धति के आधार पर ही भूखण्ड /भवन का मूल्य लिया जाता है ।
5.	इलाहाबाद वि0 प्राधिकरण	कर्मचारियों/अधिकारियों को आवंटित भवनों /भूखण्डों के मूल्य में कोई सुविधा नहीं दी जाती है ।

क्रमशः - - -

क्रमांक	विभाग का नाम	प्रचलित प्रक्रिया
6.	बरेली विकास प्राधिकरण	कर्मचारियों/अधिकारियों को रियायतीदर पर कोई भी भूखण्ड/भवन आवंटित नहीं किये जाते हैं।
7.	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	परिषद की वर्तमान नीति के अनुसार परिषद के कर्मचारियों/अधिकारियों को किराया क्रय पद्धति / नगद मूल्य पर जो सम्पत्तियां आवंटित की जाती हैं उसमें कुल मूल्य का 5प्रतिशत छूट दिये जाने का प्राविधान है।

आर. सिंह,

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक:7/27.10.88 की विषय संख्या: 01 का उद्धरण ।

विषय: प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को आवंटित भवनों में लाभांश न लिये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या: वर्तमान में प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को जो भवन आवंटित किये जाते हैं उनमें 5% की दर से लाभांश लिया जाता है तथा ई.डब्लू.एस. के भवनों को छोड़कर सभी प्रकार के भवनों में धनराशि की वसूली 15 वर्षों में की जातीहै।

2. गोमती नगर योजना में 100भवन पत्रकारों को निर्मित कराकर दिये गये हैं, पत्रकारों के अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा उनसे लाभांश (पांच प्रतिशत) नहीं लिया गया है ।

3. पत्रकारों का उदाहरण देते हुए कर्मचारियों/अधिकारियों ने अपने प्रत्यावेदन दिये हैं कि उनसे भी लाभांश न लिया जाये तथा धनराशि की वसूली 15 वर्षों में न करके 20 वर्षों में की जाय ।

4. अब तक जितने भवन कर्मचारियों को आवंटित किये गये हैं उनके सम्बन्ध में लाभांश की धनराशि उदाहरण स्वरूप निकाली गई है जो लगभग रू0 1,00,000/=प्रतिवर्ष आती है ।

5. कर्मचारियों/अधिकारियों से यदि धनराशि की वसूली 15 वर्षों के स्थान पर 20 वर्षों में की जाती है तो निम्न स्थिति आयेगी : -

भवन का प्रकार	भवन का विक्रय मूल्य	त्रैमासिक किस्त 15 वर्षों में वसूली के लिये	त्रैमासिक किस्त20 वर्षों में वसूली के लिये
एल.आई.जी.	63,600/=	2,014/=	1,836/=
एम.आई.जी.	83,100/=	2,775/=	2,555/=
एच.आई.जी.	1,31,600/=	4,629/=	4,300/=

6. प्रत्येक विभाग अपने कर्मचारियों /अधिकारियों को कुछ न कुछ सुविधा अवश्य प्रदान करता है जैसे-उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अपने कर्मचारियों को बिजली रियायती दर पर देता है रेलवे अपने कर्मचारियों को यात्रा की सुविधा रियायती दर पर तथा नि:शुल्क देता है, आदि-आदि ।

7. उपरोक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण कृपया अपने कर्मचारियों अधिकारियों को लाभांश न लिये जाने तथा धनराशि की वसूली 15 वर्षों के स्थान पर 20 वर्षों में लिये जाने हेतु निर्णय लेने का कष्ट करें ।

निर्णय

विचारोपरांत प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि इस निर्णय की तिथि के बाद होने वाले आवंटन पर ही यह लागू होगा ।

आर0सिंह

विषय संख्या: 15 पृष्ठ संख्या: 53

विषय: आवंटित ई0डब्लू0एस0 भवन के स्थान पर दूसरी योजना में एल्. आई. जी. भवन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव : श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री बच्चा सिंह निवासी ए0-9 हाता खुदाबख्श पुराना गनेशगंज, लखनऊ द्वारा सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0भवन आवंटन हेतु चालान सं0 01601 द्वारा दिनांक: 10.02.88को पंजीकरण कराया था इन्हें सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत कोई भवन आवंटित नहीं हुआ है । श्री सिंह द्वारा उपरोक्त पंजीकरण के विरूद्ध टिकैत राय योजना के अन्तर्गत एक मंजिलाटाईप भवन आवंटन हेतु अपना प्रार्थना पत्र माननीय कार्यवाहक सभापति विशेषाधिकार समिति विधान परिषद (उ0प्र0) के माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री जी को भेजा था । श्री नित्यानंद स्वामी के उक्त पत्र पर माननीय मंत्री जी ने नियमानुसार आवंटन करने के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त के अतिरिक्त सचिव आवास, उ0प्र0 शासन द्वारा श्री अशोक कुमार सिंह को टिकैत राय योजना में एक भवन आवन्टन की कार्यवाही हेतु निर्देश दिया है । (प्रतिलिपि संलग्न)

आवंटन नियमावली एवं शासनादेश संख्या: 6226/11-5-9-1021डी. ए. /89 दिनांक: 22सितम्बर, 1989 में दिये गये नियमों के अन्तर्गत श्री सिंह को ई. डब्लू. एस. के स्थान पर एल. आई. जी. भवन एकयोजना से दूसरी योजना में नियमानुसार स्थानान्तरण का नियम नहीं है । टिकैत राय योजना में एल. आई. जी, भवन आवन्टन हेतु रिक्त है ।

अत: यह मामला माननीय नगर विकास मंत्री एवं आवास सचिव के पत्र जिनकी प्रतियां साथ में अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है, पर विचार हेतु आख्या विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है ।

आर. सिंह,

संलग्नक:सं0 1

पत्र संख्या:7300/पीएस/एसटी/90

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,

कृपया श्री अशोक कुमार सिंह को टिकैत राय तालाब योजना में एक कमरे का भवन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री नित्यानन्द स्वामी, उप नेता (कांग्रेस आई) विरोधी दल, विधान परिषद का संलग्न पत्र देखें तथा संदर्भित मामले में एक सप्ताह में आख्या प्रस्तुत करें ।

ह0/=

16.8.90

(शम्भू नाथ)
सचिव
आवास विभाग
उ0प्र0 शासन

संलग्नक संख्या: 02

कार्यालय,
नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश
संख्या:4968/जी.
दिनांक: 23.06.89

सेवा में,

माननीय नगर विकास मंत्री जी,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

महोदय,

विनम्र निवेदन यह है कि मेरे पूर्व पत्र दिनांक:10.2.1989 का अवलोकन करने का कष्ट करें । जिसमें मैंने लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ की किसी योजना (कानपुर रोड, राजाजीपुरम योजना, अलीगंज अथवा सीतापुर रोड योजना) में प्राथमिकता के आधार पर एक कमरे का एक मंजिला भवन आवंटित कराने का निवेदन किया था ।

महोदय मुझे जानकारी मिली है कि टिकैत राय योजना में कुछ एक मंजिले मकान बनकर तैयार है और कुछ का निर्माण भी हो रहा है और कुछ ही दिनों में उक्त मकान आवंटित कर दिये जायेंगे ।

श्रीमान जी वर्तमान समय में मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है जिससे मुझे व मेरे परिवार को बहुत ही आवासी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा ह तथा आवास न होने के कारण मुझ मानसिक कठिनाई भी उठानी पड़ रही हैं ।

अत: श्रद्धिमानजी से निवेदन है कि मेरी पारिवारिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए तथामानवता की दृष्टि से टिकैत राय तालाब योजना में एक कमरे का एक मंजिला भवन विशेष परिस्थितियों में आवंटित करने का कष्ट करें ।

आपकी महान कृपा होगी ।

भवदीय,
अशोक कुमार सिंह
पुत्र स्व0श्री बच्चा सिंह
ए-9 हाता खुदा बख्श पुराना
गनेश गंज, लखनऊ ।

उपाध्यक्ष,
ल0वि0प्रा0,
========
कृपया टिकैत राय तालाब योजना में प्राथमिकता के आधार पर प्रार्थी के नाम भवन आवंटित करने का कष्ट करें ।
ह0/=
(बलदेव सिंह आर्य)
मंत्री
नगर विकास, उ0प्र0
21.06.89

विषय : काश्मीर से आए शरणार्थियों, विकलांगों, पिछड़ी जातियों तथा विवादग्रस्त प्रकरणों में एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

काश्मीर से आए 9 शरणार्थियों ने सीतापुर रोड योजना में एल0आई0जी0 भवन प्राप्त करने हेतु पंजीकरण कराया था । अब उन्होंने कानपुर रोड योजना के सेक्टर "जी" में उपलब्ध एल0आई0जी0 भवनों के आवन्टन हेतु प्रार्थना की है, परन्तु शासनादेश संख्या:- 5425/11-5-919/डीए/89/ दिनांक 1-11-89 द्वारा एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, जिसके कारण उक्त शरणार्थियों को सीतापुर रोड योजना से कानपुर रोड योजना में परिवर्तन करके भवन आवन्टन में कठिनाई हो रही है ।

इसी प्रकार विभिन्न योजनाओं में कुछ भवन/भूखण्डों पर मन्दिर या कब्र आदि पड़ जाने तथा अन्य कारणों से वाद ग्रस्त हो जाने अथवा भवन/भूखण्ड उपलब्ध न होने के कारण योजना में दे पाना सम्भव नहीं हो पाता है तथा जिन योजनाओं में भवन/भूखण्ड उपलब्ध होते हैं और यदि प्रार्थी द्वारा उसमें परिवर्तन का अनुरोध किया जाता है तो परिवर्तन पर प्रतिबन्ध होने के कारण इस प्रकार के मामलों को निस्तारित करने में कठिनाई होती है । इसी प्रकार का एक अन्य मामला कार्य-सूची में अलग से भी प्रस्तुत है ।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27-7-90 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रार्थियों को आवन्टन में आरक्षण कोटे की पूर्ति हेतु एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन की सुविधा प्रदान की गई है । अत: काश्मीर के शरणार्थियों, विवाद ग्रस्त प्रकरणों, विकलांगों तथा पिछड़ी जातियों को विभिन्न योजनाओं में आरक्षण पूर्ति हेतु एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये ताकि इस प्रकार के प्रकरणों को निस्तारित किया जा सके ।

अत: उपरोक्त प्रकरणों में सचिव/उपाध्यक्ष को एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत करने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है ।

विषय संख्या: 17 पृष्ठ संख्या:

विषय :- दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या :- श्रीमती मीना कटियार को गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत "डी" प्रकार का भूखण्डसंख्या: 1/123 दिनाँक: 22.7.85 को आवंटित किया गया था । आवंटन पत्र के अनुसार भूखण्ड की धनराशि 8 त्रैमासिक किश्तों में देय थी । प्रथम किश्त दिनाँक: 30.12.85को तथा अंतिम किश्त दिनाँक:30.9.87को देय थी ।

2. परन्तु श्रीमती मीना कटियार ने उपरोक्त अंतिम तिथि तक कोई धनराशि जमा नहीं की । इस बीच श्रीमती मीना कटियार ने गोमती नगर योजना के प्रथम चरण में दूसरा भूखण्ड आवंटित करने के लिये प्रार्थना की क्यों कि द्वितीय चरण में विकास कार्य नहीं हुए थे फलस्वरूप श्रीमती मीना कटियार को गोमती नगर योजना में भूखण्ड सं02/492 दिनाँक:12.04.88को आवंटित हुआ ।

3. बाद में श्रीमती मीना कटियार ने उपरोक्त भूखण्ड अपने सगे भाई श्री अशोक कुमार के पक्ष में करने के लिये अनुरोध किया तदनुसार उपरोक्त भूखण्ड श्री अशोक कुमार को दिनाँक:06.06.88को परिवर्तित कर दिया गया ।

4. उपरोक्त भूखण्ड का लीज प्लान सम्बन्धित अधि0अभि0 से भेजने हेतु कहा गया तो अधि0अभि0 ने माह मार्च, 90 में सूचित किया कि भूखण्ड संख्या:2/492 का अभी तक भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच दिनाँक:22.03.90को श्री अशोक कुमार ने प्रारम्भ में विजयन्त खण्ड में आवंटित भूखण्ड के मूल्यांकन के अनुसार धनराशि जमा कर दी ।

5. आवंटी को जब उपरोक्त स्थिति का पता चला तब उसने अन्य स्थान पर विकसित भूखण्ड आवंटित करने हेतु अनुरोध किया। उनका प्रार्थना पत्र माननीय नगर विकास मन्त्री, उ0 प्र0 शासन लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनाँक:10.04.90द्वारा भेजा गया जिसके तारतम्य में भूखण्ड संख्या:2/302विजय खण्ड में परिवर्तित कर दिया गया । उपरोक्त भूखण्ड परिवर्तित करने के पश्चात मूल्यांकन किया गया, जिसमें मूल आवंटन की तिथि 22.07.85 के अनुसार भूखण्ड की दर लगाई गई । चूँकि आवंटन पत्र के अनुसार देय तिथियों के अनुसार धनराशि जमा नहीं की गई थी, अत: दण्ड ब्याज 16% की दर से लगाया गया, जिसकी धनराशि रू0 14,026.80आती है ।

6. श्री अशोक कुमार द्वारा दिनाँक:7.6.90 को माननीय नगर विकास मंत्री, उ0प्र0 शासन लखनऊ को उपरोक्त दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर माननीय नगर विकास मंत्री, उ0 प्र0 शासन लखनऊ ने छूट प्रदान करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को आदेश दिये । उपरोक्त प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि चूँकि विजय खण्ड में जो भूखण्ड आवंटित किया गया है वह कब्रगाह होने के कारण विवादित था, अतः भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया गया । अतएव विवादित भूखण्ड पर दण्ड ब्याज माफ कर दिया जाय जबकि दण्ड ब्याज विजयन्त खण्ड के आवंटन पत्र के अनुसार धनराशि न जमा करने के कारण लगाया गया है ।

7. अतः माननीय मन्त्री जी के आदेश के क्रम में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है ।

विषय :- दण्ड ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में ।

आख्या :- श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव को गोमती नगर योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत "डी" प्रकार का भूखण्ड संख्या: 2/207 दिनाँक: 15.4.88 को नगर भुगतान के आधार पर आवंटित किया गया था जिसकी अवशेष धनराशि रू0 39,425/- दिनाँक: 14.07.88 तक जमा की जानी थी ।

2. बाद में श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव ने उपरोक्त भूखण्ड अपनी सगी बहन श्रीमती मिन्ता सिंह श्रीवास्तव के पक्ष में करने के लिये अनुरोध किया । तदनुसार उपरोक्त भूखण्ड श्रीमती मिन्ता सिंह श्रीवास्तव को दिनाँक: 07.06.88 को परिवर्तित कर दिया गया ।

3. उपरोक्त भूखण्ड पर कब्रिस्तान होने के कारण इन्हें दिनाँक: 3.10.89 को भूखण्ड संख्या: 2/488 विजय बिना परिवर्तन शुल्क के परिवर्तित कर दिया गया । बाद में श्रीमती मिन्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति श्री बच्चाजी सिंह का नाम जोड़ दिया जाय दिनाँक: 26.10.89 को श्री बच्चाजी सिंह का नाम सम्मिलित कर लिया गया ।

4. उपरोक्त भूखण्ड का लीज प्लान सम्बन्धित अधि0अभि0 से भेजने हेतु कहा गया तो अधि0अभि0 ने माह मार्च, 90 में सूचित किया कि भूखण्ड संख्या: 2/488 का अभी तक भौतिक कब्जा नहीं प्राप्त हुआ है। इस बीच दिनाँक: 08.01.90 को श्री बच्चा जी सिंह द्वारा आवंटित भूखंड के मूल्यांकन के अनुसार धनराशि जमा कर दी गई ।

5. आवंटी को जब उपरोक्त स्थिति का पता चला तो उसने अन्य स्थान पर विकसित भूखण्ड आवंटित करने हेतु अनुरोध किया उनके प्रार्थना पत्र पर माननीय मंत्रीजी नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनाँक: 10.04.90 द्वारा भेजा गया जिसके सारतम्य में भूखण्ड संख्या: 2/303 विजय खण्ड में परिवर्तित कर दिया गया । उपरोक्त भूखण्ड परिवर्तित करने के पश्चात मूल्यांकन किया गया, जिसमें मूल आवंटन की तिथि 15.04.88 के अनुसार भूखण्ड की दर लगाई गई । चूँकि आवंटन पत्र के अनुसार सूचित की गई स्थिति के अन्तर्गत धनराशि जमा नहीं की गई, अतः दण्ड ब्याज 16 प्रतिशत की दर से लगाई गई, जिसकी धनराशि रू0 9350.58 आती है।

कृपया:---

6. श्री बच्चा जी सिंह द्वारा दिनाँक:07,06,90 को माननीय नगर विकास मंत्री, उ0 प्र0 शासन लखनऊ को दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर माननीय नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ने छूट प्रदान करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण को आदेश दिये । उपरोक्त प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया कि चूँकि विजय खण्ड में जो भूखण्ड आवंटित किया गया था, उसमें कब्रिस्तान होने के कारण विवादित था, अतः भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया गया अतएव विवादित भूखण्ड पर दण्ड ब्याज माफ कर दिया जाय ।

7. अतः माननीय मन्त्री जी के आदेश के क्रम में यह प्रकरण निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

आर. सिंह,

विषय संख्या: 19 पृष्ठ संख्या: 61

विषय : गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विभूति खण्ड में 10,000 वर्गफुट आवंटित भूखण्ड के बगल में पड़ी 12,000 वर्गफुट भूमि का आवन्टन ।

x=x=x=x=x=x

मो0 रफ़ीक़ उर्फ़ अच्छन मियाँ को विभूति खण्ड में 10,000 वर्गफुट व्यवसायिक भूखण्ड आवन्टित किया गया था जिसकी धनराशि रु0 4,51,193.35 पैसे आवन्टी द्वारा जमा कर दी गई है । उक्त भूखण्ड का जब लीज़ प्लान प्राप्त हुआ तो बगल की भूमि को, जिसका क्षेत्रफल 12,000 वर्गफुट था, सम्मिलित कर लिया गया है । यह अतिरिक्त भूमि आवन्टित भूखण्ड के क्षेत्रफल से ज्यादा है । यहाँ प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि इस बढ़ी भूमि को नई दर के स्थान पर पुरानी दर से आवन्टित की जाये ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि श्री मो0 रफ़ीक़ उर्फ़ अच्छन मियाँ ने गोमती नगर योजना में भूमि अर्जन में बहुत मदद की थी इसलिये भूमि आवन्टन के मामले में इनके सहयोग के दृष्टिकोण को ध्यान मे रखते हुए भूमि आवन्टन का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

विषय: मवैया स्थित ट्रस्ट भूखण्ड संख्या:363-ए/14 के संबंध में ।

आशय: मवैया स्थित ट्रस्ट प्लाट संख्या:363-ए/14 गुरुद्वारा निर्माण हेतु श्री उत्तम सिंह को पत्र संख्या :टीएस/145 दिनाँक:26.08.1963द्वारा 1667वर्गफुट रू0 1/=प्रति वर्गफुट की दर से कतिपय शर्तों के अधीन आवंटित किया गया था जिसमें एक शर्त यह भी थी कि भूमि का उपयोग उसी हेतु किया जायेगा जिस हेतु भूमि आवंटित की गई है, यह भी प्रावधान था कि बिना पूर्व अनुमति के उसका हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा और कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त ही यह आवंटन मान्य होगा । उपर्युक्त पत्र द्वारा उत्तम सिंह से एक महीने के अन्दर रू0 1821/= जमा करने हेतु अनुरोध किया गया । पक्ष को यह भी अवगत कराया गया कि यदि उक्त धनराशि समय से नहीं जमा की जाती है तो आवंटन प्रस्ताव निरस्त माना जायेगा परन्तु उक्त धनराशि पक्ष द्वारा जमा नहीं की गई ।

दिनाँक:26.10.1966को श्री उत्तम सिंह व श्रीमती अमृत कौर के बीच एक रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट निष्पादित किया गया, जिसके अनुसार यह अनुबन्ध किया गया कि श्रीमती अमृत कौर प्रथम पक्ष श्री उत्तम सिंह के नाम से महापालिका में भूमि का मूल्य जमा करेंगी और श्री उत्तम सिंह (प्रथम पक्ष) नगर महापालिका द्वारा उक्त भूखण्ड की उनके नाम से रजिस्ट्री हो जाने के उपरान्त पुन: उसे श्रीमती अमृत कौर के पक्ष में रजिस्ट्री कर देंगे ।

श्री उत्तम सिंह को पुन: प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति द्वारा एक पत्र दिनाँक:14.03.83को इस आशय से भेजा गया कि चूँकि उनके द्वारा अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की गई है अतएव अब यदि वह . .वर्तमान बाजार दर रू025/=प्रति वर्गफुट की दर से भूमि लेने को इच्छुक हों तो अपनी सहमति सात दिन के अन्दर भेज दें । साथ ही साथ श्रीमती अमृत कौर को भी इसी आशय का एक पत्र दिनाँक:10.05.83को भेजा गया कि यदि वह रू025/=प्रतिवर्गफुट की दर से भूमि लेने के इच्छुक हों तो अपनी सहमति दिनाँक:20.05.83 तक भेज दें अन्यथा भूमि का आवंटन उनके पक्ष में किया जाना सम्भव नहीं होगा ।

क्रमश: - -

दिनांक: 22.02.89 को श्रीमती अमृत कौर की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा उन्होंने अवगत कराया कि पूर्व प्रेषित विभागीय पत्र के अनुसार अपेक्षित धनराशि रू0 1821/=का चेक उनके स्तर से विभाग को भेजा गया था परन्तु उक्त धनराशि विभाग द्वारा जमा नहीं कराई गई।

वर्तमान में स्थित यह है कि उक्त ट्रस्ट भूमि पर गुरूद्वारा निर्मित है जो श्रीमती अमृत कौर के कब्जे में है तथा उनके द्वारा भूमि के आवंटन की माँग की जा रही है । इस सम्बन्ध में अब विचारणीय बिन्दु यह है कि गुरूद्वारे हेतु भूमि का आवंटन पूर्व निर्धारित दर रू0 1/= प्रति वर्गफुट की दर पर किया जाय जैसा कि माननीय विधायिका श्रीमती प्रेमवती तिवारी ने अनुशंसा की है अथवा वर्तमान बाजार दर पर आवंटन किया जाये । जैसाकि कास्ट एकाउन्टैंट कम इकोनॉमिक प्लानर द्वारा सुझाव दिया गया है । चूँकि मामला एक धार्मिक संस्था का है तथा स्थल पर गुरू द्वारा भी निर्मित है । इस प्रकरण में यह भी एक विचारणीय बिन्दु है कि उक्त भूमि का विनियमितीकरण श्रीमती अमृत कौर के नाम से न होकर गुरू द्वारा प्रबन्धक कमेटी के नाम से किया जाना उचित होगा ।

अतएव यह मामला निर्णयार्थ/विचारार्थ लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है ।

आर. सिंह/

विषय : - अपोलो अस्पताल को गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव: अपोलो अस्पताल को पूर्व में गोमती नगर योजना के विनीत खण्ड में लगभग 10 एकड़ भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया था लेकिन भूमि विवादित होने के कारण प्रस्तावित होने के कारण प्रस्तावित स्थल का कब्जा नहीं दिया जा सका । इस संदर्भ में " अपोलो अस्पताल " द्वारा पुन: अनुरोध किया गया कि अस्पताल हेतु 60 मीटर चौड़ी रिंग रोड की उत्तर की ओर अर्थात अपट्रान कार्यालय के साथ लगी लगभग 15 एकड़ भूमि जिसे भू-विन्यास मानचित्र में लाल रंग से अंकित किया गया है को आवंटित कर दिया जाय । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लखनऊ महायोजना 2001 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग पार्क तथा औद्योगिक दर्शाया गया है । अत: भूमि आवंटित के पूर्व यह आवश्यक है कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग कृषि से अस्पताल हेतु परिवर्तित किया जाय ।

अत: विकास प्राधिकरण की बोर्ड के समक्ष 'अपोलो अस्पताल को 15 एकड़ भूमि आवंटन करने तथा प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग पार्क तथा औद्योगिक से अस्पताल हेतु परिवर्तित करने हेतु प्रस्तुत है ।

- - - - - - -

आर. सिंह,

विषय: वजीर हसन रोड योजना का संशोधित अभिन्यास चित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव : लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत वजीर हसन रोड पर स्थित लगभग 4.75 एकड़ भूमि जिसकाअभिन्यास चित्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, में एक कमरे तथा दो कमरे के चार मंजिले ग्रुप हाउसिंग प्रस्तावित है । इसके साथ 200 वर्ग मीटर के 5 अतिरक्त भूखण्ड व 78 वर्गमीटर के 3 अतिरिक्त भूखण्ड सृजित किये जाने प्रस्तावित है । शासनादेश संख्या: 4011/11-5-1989, दिनाँक:26 अगस्त, 1989 के अन्तर्गत संशोधित अभिन्यास चित्र को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करने का प्राविधान किया गया है ।

अत: बोर्ड के समक्ष वजीर हसन रोड का संशोधित अभिन्यास चित्र विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

- - - - - - - - -

आर. सिंह/

विषय संख्या: 23 पृष्ठ संख्या: 66

विषय: गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड का संशोधित अभिन्यास चित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव : लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विशाल खण्ड में 1.5 एकड़ भूमि सांस्कृतिक नाटक एकादमी को, जिसे संलग्न अभिन्यास चित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, को आवासीय दर पर आवंटित की गई है । सांस्कृतिक नाटक एकादमी को भूमि किसी अन्य स्थल पर आवंटित कर दी गई है जिसके कारण उपरोक्त स्थान रिक्त पड़ा है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना में पूर्व में प्रार्थियों को आवंटित भूखण्ड उपलब्ध न होने के कारण उनको किसी अन्य वैकल्पिक स्थल पर भूखण्ड उपलब्ध करवाये जाने के क्रम में विकास प्राधिकरण द्वारा यह उचित समझा गया कि यदि प्रानगत स्थल के अन्तर्गत कुछ भूखण्ड सृजित किये जाते हैं तो उपरोक्त समस्या का समाधान सम्भव हो जायेगा । इसी क्रम में लगभग 15 भूखण्ड, लगभग 200वर्गमीटर के सृजित किये गये हैं जिसे संलग्न अभिन्यास चित्र पर लालरंग से अंकित कर दिया गया है ।

शासनादेश संख्या:4011/11-5-1989 दिनाँक:26अगस्त, 1989 के अन्तर्गत संशोधित अभिन्यास चित्र को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करके अनुमोदन प्राप्त करने का प्राविधान किया गया है ।

अत: बोर्ड के समक्ष विशाल खण्ड का समायोजन संशोधित अभिन्यास चित्र विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

- - - - - - - -

आर0 सिंह/

विषय: सीतापुर रोड योजना के फेज – 3 के विन्यास मानचित्र की
===== स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव : सीतापुर रोड योजना के फेज –3 जिसका क्षेत्रफल लगभग
=====
250 हेक्टेयर है का अभिन्यास चित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियोजन विभाग द्वारा महायोजना के अनुरूप नियमों के अनुसार तैयार किया गया है । शासनादेश संख्या: 4011/11–5–1989 दिनांक: 26 अगस्त, 1989 के अन्तर्गत इस प्रकार के निर्देश है कि प्रत्येक तैयार किये गये अभिन्यास चित्र को प्राधिकरण की बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

अत: बोर्ड के समक्ष सीतापुर रोड योजना के फेज–3 का अभिन्यास चित्र विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

– – – – – – – –

अ०र० सिंह/

विषय संख्या: 25 पृष्ठ संख्या: 68

विषय महायोजना जोनिंग रेगुलेशन के अधीन तैयार किये गये मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

1. " कृषि हरित पट्टी " क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण ।
2. " कृषि हरित पट्टी " क्षेत्र में फ्लोर मिल की स्थापना ।
3. नगरीय क्षेत्रों में गैस गोदाम/शो रूम की स्थापना ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ. प्र. द्वारा मार्ग दर्शक सिद्धान्त तैयार किये गये है जो उनके पत्र संख्या:7788/न0नि0 (1)/आगरा-वि0प्र0/90 दिनाँक: 01.02.90 जो सचिव, आवास उ0प्र0 शासन को सम्बोधित है तथा पृष्ठांकन अन्य कार्यालयों के अतिरिक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराया गया है । जिसके लिये मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 द्वारा अपेक्षा की गई है कि इसे विकास प्राधिकरण की बैठक में रखकर इसे अनुमोदन कराया जाय ।

प्रस्तुत विषय मूल रूप में प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है, जिसे तदुपरांत शासन को अवगत कराया जा सके ।

- - - - - - - - - -

आर0 सिंह/

विषाय संख्या: 26 पृष्ठ संख्या: 69

विषाय : हायर परचेज़ पध्दति के अन्तर्गत आवन्टित किये जाने वाले भवनों की सामान्य शर्तें ।

हायर परचेज़ पध्दति के अन्तर्गत आवन्टित किये जाने वाले भवनों की सामान्य शर्तें एक अलग पुस्तिका के रूप में साथ में संलग्न की जा रही हैं ।

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

हायर परचेज़ पद्धति

के अंतर्गत आवंटित

किये जाने वाले भवनों की

सामान्य शर्तें

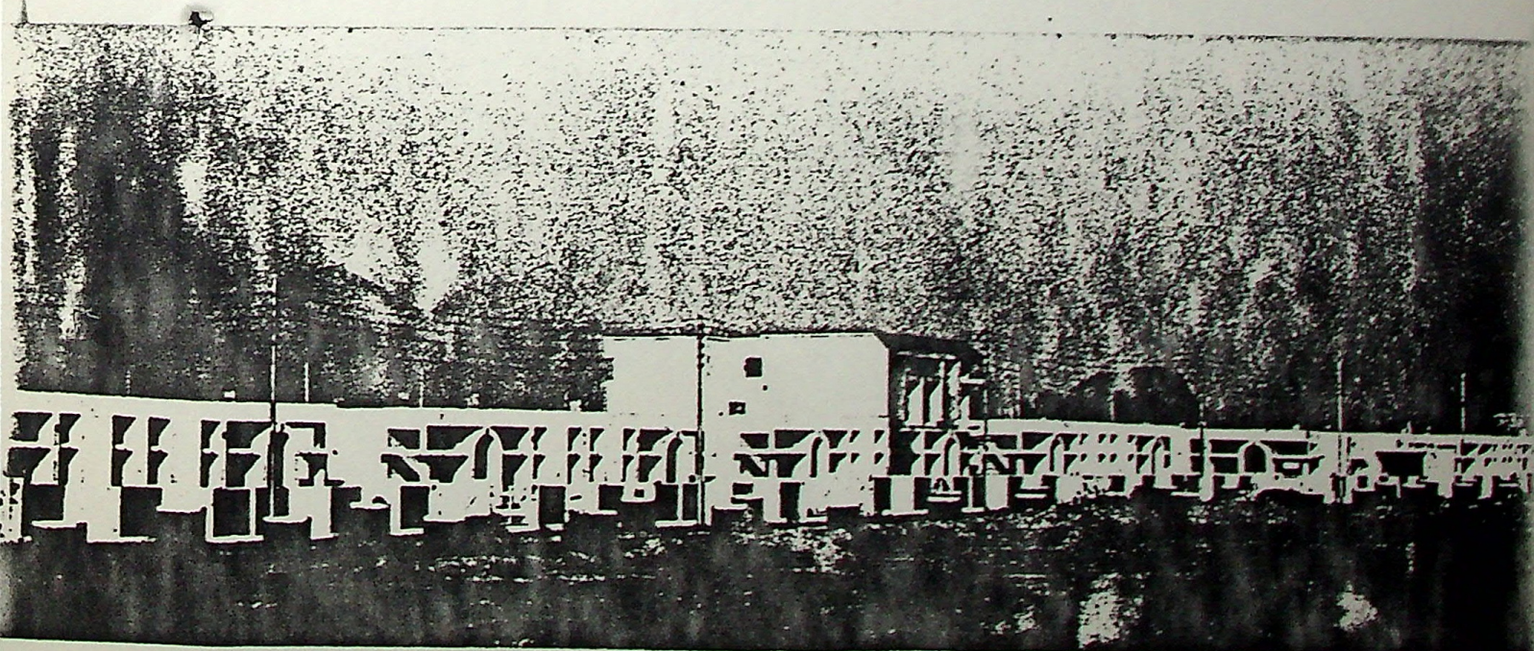

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

हायर परचेज़ पध्दति के अर्न्तगत आवन्टित किये जाने वाले भवनों की सामान्य शर्ते

1. आवेदक अथवा उसके पति/पत्नी या किसी आश्रित के पास जिसमें अविवाहित बच्चे भी सम्मिलित हैं लखनऊ शहर में कोई अपना मकान अथवा आवासीय भूखण्ड नहीं होना चाहिये एवं उत्तर प्रदेश में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये।

2. आवेदक अथवा उसके पति/उसकी पत्नी या किसी आश्रित सम्बन्धी जिसमें अविवाहित बच्चे भी सम्मिलित है, के पास पँजीकरण के समय अथवा भविष्य में अर्बन लैण्ड सीलिंग ऐण्ड रेगुलेशन ऐक्ट 1976 में वर्णित सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति नहीं होनी चाहिये।

3. आवेदन पत्र की तिथि तक आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

4. एक आवेदक को, जिसमें उसके परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं, एक ही भवन दिया जायेगा। परिवार में उसकी पत्नी/उसका पति आश्रित अव्यस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

5. आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिये तथा भारतीय संविदा अधिनियम के अर्न्तगत संविदा करने हेतु अर्ह होना चाहिये।

6. पूरी क़ीमत चुकाने से पूर्व आवन्टी को न तो भवन का बटवारा करने का अधिकार होगा और न वह बिना प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से उसका विक्रय या हस्तान्तरण ही कर सकेगा। प्राधिकरण द्वारा जिन मामलों में ऐसी अनुमति दी जायेगी उसमें अनुमति से पूर्व शासनादेश तथा पुस्तिका में वर्णित नियमों के अनुरूप हस्तान्तरण शुल्क आदि देय होगा।

7. पँजीकरण एक से अधिक लोगों के सँयुक्त नाम से भी किया जा सकता है। इस प्रकार के सँयुक्त पँजीकरण पति/पत्नी, पिता/पुत्र-पुत्री, माता/पुत्र-पुत्री, सगे भाई/बहन, भाई/भाई, बहन/बहन तक सीमित होगें। इन सबका व्यस्क होना अनिवार्य होगा।

8. पँजीकरण का किसी भी दशा में हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा। अतएव पँजीकृत आवेदक के नाम के स्थान पर किसी अन्य का नाम बदले जाने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा। परन्तु पँजीकृत आवेदक की मृत्यु होने पर नियमानुसार उसके वारिस के नाम पँजीकरण नामान्तरित किया जा सकेगा।

9. यदि पँजीकृत आवेदक जिसने किसी योजना विशेष के लिये अपना पँजीकरण कराया है और वह उसी योजना के भवन प्राप्त करने में असफ़ल रहा है तो वह प्राधिकरण की अन्य योजनाओं का पँजीकरण खुलने पर उस योजना में अपना पँजीकरण स्थानान्तरित करा सकता है परन्तु शर्त यह रहेगी कि नवीन योजना के लिये यदि किसी अन्य औपचारिकता की पूर्ति वान्छित होगी तो आवेदक को उसकी पूर्ति करनी होगी।

10. आवेदक को सम्बन्धित योजना की विवरण पुस्तिका में दिये गये प्रार्थनापत्र पर आवेदन करना होगा तथा प्रार्थनापत्र उक्त विवरण पुस्तिका में अंकित पँजीकरण धनराशि सहित निर्दिष्ट बैंक में जमा करना होगा।

11. किसी योजना विशेष के लिये कोई बैंक विशेष अधिकृत किया जायेगा जहाँ से पँजीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकेगाः-

11. क- पँजीकरण आवेदन पत्र के साथ पँजीकरण धनराशि का क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट जो सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष मे हो, सँलग्न किया जाना चाहिये। आवेदन पत्र के साथ चालान की चारों प्रतियाँ भी कर दी जानी चाहिये।

ख. आवन्टन पत्र में किश्तों के भुगतान का विवरण अंकित होगा। इसके अतिरिक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा अलग से सूचना निर्गत नहीं की जायेगी। समय से भुगतान न करने पर आवन्टन निरस्त किया जा सकेगा। किश्तों के भुगतान की निर्धारित देय तिथि में एक माह का ग्रेस पीरियड दिया जायेगा। परन्तु ग्रेस पीरियड के अन्दर भुगतान न करने पर देय तिथि से ही दण्ड ब्याज देय होगा।

ग. चालान की चौथी प्रति या पँजीकरण प्रमाण पत्र खो जाने पर आवेदक को एक शपथ पत्र व प्रत्येक के लिये रू0 25/- का बैंक ड्राफ्ट सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम जमा करना होगा ताकि उसे चालान या पँजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति जारी की जा सके।

घ- लखनऊ विकास प्राधिकरण किसी ऐसी धनराशि या उस पर अर्जित ब्याज जमा करने वाले को देने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा जिसका बैंक की गलती से या जमा करने वाले व्यक्ति की गलती से जमा होना सत्यापित न हो।

ड.- जमा धनराशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसके प्राधिकरण खाते में जमा होने के माह के अनुगामी माह की पहली तारीख से वापिस लेने की तारीख से पूर्व माह की अन्तिम तिथि तक या पँजीकृत आवेदक को आवन्टित भवन के मूल्य में उसके आवन्टन किये जाने से पूर्व माह की अन्तिम तारीख तक देय होगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित, देय या समायोजित नहीं होगा जो प्राधिकरण के पास एक वर्ष से कम अवधि तक जमा रही हो।

च- यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष से पूर्व अपनी धनराशि वापिस लेना चाहता है तो उसे जमा धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जावेगी।

टिप्पणीः- बयाने की धनराशि पर ब्याज का भुगतान अलग से ईच्छुक क्रेताओं को नहीं दिया जायेगा। यह ब्याज भवन आवन्टन होने के उपरान्त भवन के मूल्य/प्रीमियम में समायोजित किया जायेगा। आवन्टन न होने की दशा में वापस लेते समय बयाने की धनराशि के साथ ब्याज दिया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बयाने की धनराशि प्राधिकरण के खाते में कम से कम एक वर्ष तक जमा रही हो।

छ योजना विशेष में बनने वाले भवनों का विवरण जैसेः- भवनों का क्षेत्रफल, अनुमानित मूल्य, भुगतान शेड्युल आदि समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया जायेगा। योजना हेतु लाटरी हा में योजना के लिये पँजीकृत आवेदकों के नाम सम्मिलित कर लिये जायेगें तथा आवन्टन पत्र दिये जायेगें परन्तु यदि आवन्टी इस योजना के विवरण व भुगतान शेड्युल आदि को पसन्द नहीं करता है तो वह आवन्टन पत्र को निर्धारित अवधि में अपनी आपत्ति सहित वापस कर देगा ताकि उसका आवन्टन निरस्त कर भवन किसी अन्य को आवन्टित किया जा सके। परन्तु यदि आवन्टन पत्र प्राप्त होने के बाद निर्धारित अवधि में आवन्टी इस आवन्टन पत्र को उक्त आपत्ति के साथ वापस नहीं करता है तो यह माना जायेगा कि आवन्टी भवन को आवन्टन पत्र में उल्लिखित विवरण के अनुसार लेने को सहमत है और तद्नुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

ज यदि पँजीकृत व्यक्ति उपरोक्तानुसार आवन्टन हो जाने के पश्चात् आवन्टन से पृथक होना चाहता है या आवन्टन की किसी शर्त को पूरा नही करता है तो उसका आवन्टन निरस्त कर दिया जयेगा और पँजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत काटकर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

झ आवन्टन के लिये उपलब्ध भवनों में से 25 प्रतिशत तक भवन उन पँजीकृत आवेदकों को दिये जायेगें जो लाटरी डालने के समय तक भवन का पूर्ण मूल्य नकद या बैंक ड्राफ्ट व्दारा जमा कर देगें। कैश डाउन के अर्न्तगत आवन्टित किये जाने वाले भवनों का यह प्रतिशत उपाध्यक्ष के विवेक से घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

आवन्टन हेतु शेष भवन हायर परचेज़ पध्दति पर दिये जायेगें। हायर परचेज़ के अर्न्तगत आवन्टित भवनों के भुगतान का विवरण आवन्टन पत्र में दिया जायेगा। हायर परचेज़ पध्दति में भवनों के मूल्य, प्रीमियम की पूर्ण अदायगी अवधि में कमी या वृध्दि करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित है।

12. कोई भी व्यक्ति अपनी आय से निम्न आय वर्ग के भवन के लिये तो पँजीकरण नहीं करा सकता किन्तु अपने से किसी भी उच्च आय वर्ग के भवन/भूखण्ड के लिये पँजीकरण करा सकता है। उदाहरण के लिये अल्प आय वर्ग का आवेदक अल्प आय वर्ग के भवन, मध्यम आय वर्गीय या उच्च आय वर्गीय भवन हेतु पँजीकरण करा सकता है लेकिन समाज के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गीय भवन या साइट रेण्ड सर्विसेज़ हेतु पँजीकरण नहीं करा सकता है।

13. यदि कोई पँजीकृत आवेदक अपना पँजीकरण अपने से उच्च या निम्न वर्ग में स्थानान्तरित कराना चाहता है और उसकी आय सीमा उस वर्ग की आय सीमा के अर्न्तगत है तो उसकी प्रार्थना पर वर्ग स्थानान्तरित किया जा सकेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उसे पँजीकरण धनराशि का अन्तर जमा कराना होगा और स्थानान्तरण के फलस्वरूप उसका पँजीकरण नवीन पँजीकरण माना जायेगा और उसकी वर्ग विशेष में वरिष्ठता स्थानान्तरण की तिथि से निर्धारित की जायेगी।

14. योजना विशेष के किसी एक ढ़ा में असफ़ल आवेदक का नाम उसी योजना के दूसरे ढ़ा में शामिल किया जायेगा यदि उसने अपनी पँजीकरण धनराशि वापस न ली हो या किसी अन्य योजना में जिसमें पँजीकरण स्थानान्तरित न करवा दिया हो।

15. कोई भी पँजीकृत व्यक्ति जिसे भवन नहीं मिल सका है, एक वर्ष पश्चात् यदि चाहे तो अपनी जमा धनराशि ब्याज सहित वापस ले सकता है। इसके लिये उसे इस हेतु एक प्रार्थनापत्र देना होगा और अपना पँजीकरण प्रमाण-पत्र और धनराशि जमा करने के चालान की चौथी प्रति मूल रूप में वापस करनी होगी। पँजीकरण वापस करने की तिथि से उसका पँजीकरण समाप्त हो जायेगा। यदि ऐसा व्यक्ति दुबारा पँजीकरण कराना चाहे तो उसे पुनः आवेदन करना होगा।

16. आवन्टित भवन जिस भूखण्ड पर बनाये जाते हैं उसकी भूमि 90 वर्ष के पट्टे पर दी जाती है जिसका अग्रिम पट्टा किराया शासन व्दारा निर्धारित दर से आवन्टी को कब्ज़े से पूर्व जमा करना होगा,अन्यथा प्राधिकरण व्दारा निर्धारित दर से ब्याज देना होगा।

17. आवन्टी पट्टे की शर्तो का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण को भवन का कब्ज़ा ले लेने का अधिकार होगा। ऐसी दशा में प्राधिकरण आवन्टी को भवन का मूल्य देने को बाध्य न होगा।

प्राधिकरण में पँजीकृत हर व्यक्ति को प्राधिकरण मकान देने के लिये बाध्य नहीं है और यदि किसी आवेदक को मकान नहीं मिल पाता तो उसके लिये आवेदक प्राधिकरण से किसी प्रकार का मुआवज़ा या हरजाना नहीं ले सकता।

18. **लाटरी से आवन्टन सामान्यतः विवरण पुस्तिका में अंकित शर्तो एवं दशाओं के अनुरूप किया जायेगा किन्तु उपाध्यक्ष को उसमें से किसी शर्त या दशा को परिवर्तन, परिवर्धन या परिमार्जन करने का पूर्ण अधिकार होगा। यह परिवर्तित, परिवर्धित या परिमार्जित शर्ते पूर्व दशाओं व शर्तो को निरस्त भी कर सकेंगी या उनकी अनुरूप भी हो सकेंगी।**

19. **अपूर्ण अथवा ग़लत रूप से भरे हुए आवेदन पत्र अस्वीकृत भी किये जा सकते हैं तथा उनको प्राविज़नली लाटरी में शामिल भी किया जा सकता है लेकिन यदि नाम लाटरी में शामिल किया जाता है और भवन आवन्टन हो जाता है तो आवेदक निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र की अपूर्णता पूर्ण करेगा। यदि आवेदक ऐसा नहीं करता है तो यह प्राविज़नल आवन्टन निरस्त कर दिया जायेगा,परन्तु किसी भी स्थिति में यह अपूर्णता पँजीकरण धनराशि के बारे में स्वीकार्य न होगी।**

20. जो आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के बाद दिये जायेगें या निर्धारित आवेदन पर नहीं होगें उन्हे स्वीकार नहीं किया जायेगा। मात्र प्राधिकरण/ बैंक में ऐसे आवेदन पत्र जमा हो जाने से ही यह नहीं मान लिया जायेगा कि प्राधिकरण ने उन आवेदन पत्रों को स्वीकार कर लिया है।

21. प्राधिकरण की कोई सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति समूह, किसी भी सरकारी विभाग या अर्द्ध सरकारी सार्वजनिक उपक्रम (पब्लिक इन्टरप्राइज़ेज़) को आवन्टित करने का उपाध्यक्ष को अधिकार होगा। भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण उपाध्यक्ष व्दारा किया जायेगा।

22. यदि आवन्टी निर्धारित उद्देश्य के अतिरिक्त भवन का उपयोग किसी दूसरे उद्देश्य के लिये करता है तो आवन्टी को भवन के मूल्य का 50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से हरजाना देना होगा जो अधिकतम 12 महीने का हो सकता है। यदि 12 माह के पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया चालू रहती है, तो हरजाने की दर बढ़ाने या आवन्टन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को होगा।

23. प्राधिकरण की योजना में उपलब्ध सम्पत्ति " जैसी है जहाँ है " के आधार पर बिक्रय हेतु उपलब्ध होगी। आवन्टन तथा कब्ज़े के उपरान्त सम्पत्ति की परिस्थितियों अथवा अन्य किसी प्रकार के दोषों के सम्बन्ध में किसी शिकायत अथवा परिवर्तन/परिवर्धन या सुधार के लिये किसी प्रार्थना पत्र पर प्राधिकरण व्दारा सामान्यतः कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सम्पत्ति की परिस्थितियों का तात्पर्य भूमि तथा भवन का प्रकार तथा अवस्था, भूमि पर विकास की अवस्था, निर्माण का आकार व प्रकार व इस हेतु गृहण की गयी निर्दिष्टियाँ, निर्माण कार्य में लगाई गयी सामग्री तथा अन्य सुविधायें जो भवन में उपलब्ध हैं सम्पत्ति की सँज्ञा मे आती हैं।

24. निर्धारित तिथि तक निर्धारित धनराशि प्राप्त होने पर भवन का आवन्टन किया जायेगा। भवनों का आवन्टन सार्वजनिक रूप से निर्धारित धनराशि जमा करने वाले सभी आवेदकों के मध्य लाटरी व्दारा किया जायेगा। आवेदकों को आवन्टन तिथि, स्थान तथा समय की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी। जो आवेदक चाहें, स्वयं लाटरी के समय उपस्थित हो सकते हैं। आवासीय भवनों के आवन्टनार्थ लाटरी अलग श्रेणीवार निकाली जायेगी।

25. केवल लाटरी में किसी व्यक्ति के सफल होने की घोषणा से किसी पँजीकृत क्रेता को उस भवन के आवन्टन का अधिकार प्राप्त न होगा। आवन्टन तभी वैध माना जायेगा जब वह आवन्टन का पात्र हो, उसके व्दारा समस्त औपचारिकतायें निर्धारित समय के अन्दर पूरी कर दी गयी हों तथा पँजीकृत इच्छुक क्रेता को विकास प्राधिकरण की ओर से आवन्टन पत्र जारी हो गया हो।

26. यदि हायर परचेज़ के भवन अधिक हैं तथा अभ्यर्थी कम है तो अभ्यर्थियों की लाटरी के बाद शेष बचे भवनों को उसी योजना के अन्य पँजीकृत अभ्यर्थियों को कैश डाउन पर आवन्टित किया जा सकता है।

27. लाटरी में सफल प्रत्येक आवन्टी को समस्त वान्छित औपचारिकतायें पूर्ण कर देने के बाद आवन्टन पत्र भेजा जायेगा।

28. आवन्टी व्दारा आवन्टन पत्र स्वीकार न किये जाने की दशा में पुनः लाटरी व्दारा या अन्य पध्दति व्दारा शेष आवेदकों को भवन आवन्टित कर दिये जायेगें।

29. लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवन्टित भवन के भुगतान की पध्दति उपाध्यक्ष के व्दारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार पृथक नीति से निर्धारित की जायेगी। इस भुगतान की पध्दति को अन्य सामान्य आवन्टियों की भुगतान पध्दति में उदाहरण नहीं बनाया जायेगा।

30. यदि कोई आवन्टी भवन को पारस्परिक सहमति से बदलना चाहे तो इसके लिये नियमानुसार स्वीकृत प्रदान की जा सकती है लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे दोनों भवनों के आवन्टी भवन का कब्ज़ा लिये जाने या विलेख निष्पादन, जो भी पहले हो, के पूर्व इस आशय का एक लिखित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करें। यदि यह दोनों भवन अलग-अलग तल के ही हों तो आवन्टीगण इस आशय का शपथ पत्र या सहमति भी देगें कि वह बदले हुए तल पर लागू मूल्य आदि को देने के लिये सहमत हैं।

31. **यदि कोई आवन्टी अपने भवन को उसी योजना में उपलब्ध रिक्त भवन से बदलना चाहता है तो उसको आवन्टित भवन को परिवर्तन की दशा में निम्नलिखित परिवर्तन शुल्क देना होगा। परिवर्तन उपाध्यक्ष/सचिव व्दारा अनुमोदित होने पर ही मान्य होगा। उपाध्यक्ष/सचिव स्वविवेकानुसार**

क्रम संख्या	भवन श्रेणी	परिवर्तन शुल्क(प्रत्येक)
1.	साइट ऐण्ड सर्विसेज़	100/-
2.	ई0डब्लू0एस0	150/-
3.	एल0आई0जी0	300/-
4.	एम0एम0आई0जी0	1,000/-
5.	एम0आई0जी0	5,000/-
6.	एच0आई0जी0	10,000/-

32. यदि कोई पँजीकृत व्यक्ति जो किराया क्रय पध्दति के अर्न्तगत भवन हेतु पँजीकृत है और वह अपना पँजीकरण नकद मूल्य या स्वित्त पोषित में बदलना चाहता है तो उसका परिर्वतन मान्य होगा।

33. जिन व्यक्तियों को भवन किश्तों/किराय क्रय पध्दति पर आवन्टित किये जाते हैं और वे यदि आवन्टन की तिथि के पश्चात् एकमुश्त धनराशि का भुगतान करना चाहते है तो मान्य होगा।

34. प्राधिकरण के देयों का भुगतान आवन्टन पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित बैक की शाखाओं में करना होगा जिसका उत्तरदायित्व आवन्टी का होगा। प्राधिकरण अलग से भुगतान की सूचना देने हेतु बाध्य नहीं है।

35. आवन्टी को निर्धारित प्रपत्र पर विलेख उपयुक्त मूल्य के स्टाम्प पेपर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा निर्धारित अवधि में निष्पादित करने होगें। विलेख सम्बन्धी समस्त व्यय जैसे स्टाम्प ड्युटी, रजिस्ट्री की फ्रीस एवं लिखाई, छपाई प्लान आदि का व्यय भार आवन्टी को वहन करना होगा।

36. आवेदक अथवा आवन्टन में सफ्ल पँजीकृत ईच्छुक क्रेता व्दारा समस्त औपचारिकतायें (जिसमें भवन का क़ब्ज़ा लेना भी सम्मिलित है) की पूर्ति के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में विकास प्राधिकरण व्दारा उक्त भवन/पँजीकरण मृतक आवेदक/आवन्टी के उत्तराधिकारियों में से जिस किसी उत्तराधिकारी को शेष उत्तराधिकारी नामित करें उसके नाम पँजीकरण/आवन्टन नामान्तरित किया जा सकता है। यह नामान्तरण केवल मृतक व्यक्तियों के मामलों में ही लागू होगा। ऐसी दशा में विकास प्राधिकरण की सन्तुष्टि हेतु उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

37. यदि आवन्टी अनुबन्ध निष्पादन हेतु पत्र निर्गत होने की तिथि के 30 दिन के अन्दर अथवा समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अनुबन्ध निष्पादित कराके अनुबन्ध निष्पादन की तिथि से 15 दिन के अन्दर कब्ज़ा प्राप्त नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि आवन्टी ने कब्ज़ा प्राप्त कर लिया है तथा भवन के रखरखाव के लिये उनसे चौकीदारी शुल्क लिया जायेगा जो एच0आई0जी0, एम0आई0जी0 एवँ एम0एम0आई0जी0 श्रेणी के प्रत्येक भवन के लिये 200-200 रू0 तथा एल0आई0जी0 के प्रत्येक भवन के लिये रू0 100/- तथा ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के प्रत्येक भवन के लिये रू0 50/- प्रतिमाह निर्धारित है। परन्तु यह प्रक्रिया केवल अगले 6 माह के लिये ही होगी और 6 माह के उपरान्त आवन्टी व्दारा भौतिक तथा वास्तविक कब्ज़ा न लेने की स्थिति में आवन्टन को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष/सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को होगा।

38. भवन के पँजीकरण एवँ विलेख निष्पादन के समय प्राधिकरण व्दारा निर्धारित प्रपत्र ही प्रयोग में लाया जायेगा।

39. यदि यह पाया जाता है कि आवेदक व्दारा गलत सूचनायें दी गई हैं अथवा उसने कहीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पँजीकरण के साथ-साथ मकान का आवन्टन आवेदक को बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले ड्रा में भाग लेने से भी वंचित कर दिया जायेगा एवँ पँजीकरण राशि ज़ब्त कर ली जायेगी तथा ग़लत सूचनायें देने के आरोप में उसके विरुध्द मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है।

40. ऐसे आवेदक जिन्होंने किराये पर विकास प्राधिकरण लखनऊ के किसी भी मकान का कब्ज़ा ले रखा है उन्हे इस योजना के अन्तर्गत मकान का कब्ज़ा मिलने पर दो माह की निर्धारित अवधि के भीतर वह मकान खाली करना होगा। यदि दो माह की निर्धारित अवधि के भीतर वह मकान खाली नहीं किया जाता तो नवीन भवन का आवन्टन निरस्त कर दिया जायेगा।

41. 1. नियम संख्या: 1 में दी गई शर्तों को ऐसी स्थिति में शिथिल किया जा सकता है जबकि किसी व्यक्ति का संयुक्त सम्पत्ति भवन में एक हिस्सा मात्र हो या भवन टूटी-फूटी दशा में हो अथवा अविकसित क्षेत्र में हो।

2. पँजीकरण के निमित्त "आय" का तात्पर्य आवेदक की समस्त श्रोतों से होने वाली आय से है जो पँजीकरण हेतु आवेदन करने के समय हो, उस आय में पति/पत्नी एवँ परिवार के आश्रित सदस्यों की आय भी सम्मिलित होगी।

3. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक हो,किन्तु जो पाँच वर्ष के अन्दर सेवा निवृत्त होने को हो तो वह सेवा निवृत्त के बाद की अपनी आय के आधार पर भवन के पँजीकरण के लिये आवेदन कर सकता है।

4. इस योजना में प्रयुक्त भवन शब्द "फ्लैट" सम्मिलित है।

विशेष वर्गो के लिये आरक्षण

I॥ ऐसे व्यक्ति जिनका पँजीकरण उसी योजना में है,जिसमें कोई अन्य पँजीकरण प्राधिकरण व्दारा खोला गया है और उपरोक्तानुसार पँजीकृत व्यक्तियों के पक्ष में कोई आवन्टन न हुआ हो तो उसी योजना में किसी नयी योजना का पँजीकरण खुलने पर ऐसे व्यक्ति पँजीकरण धनराशि के अन्तर का मूल्य जमा कर उस योजना में अपने आपको पँजीकृत करा सकते हैं तथा उनका प्रथक श्रेणी में 25 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। परन्तु इस आरक्षण को कम करने का अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को होगा।

II॥ यदि पूर्व पँजीकरण एवँ जिस योजना में पँजीकरण की ईच्छा हो उसमें धनराशि में अन्तर न हो तो भी पँजीकृत व्यक्ति/व्यक्तियों को उस योजना हेतु पँजीकरण फार्म का मूल्य प्रार्थना पत्र सहित देना होगा और नियमों के सम्बन्ध में सहमति देनी होगी।

42. किसी भी योजना में आवन्टन योग्य सम्पत्ति होने की दशा में समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से अथवा पँजीकृत व्यक्तियों को लिखित सूचना भेज कर अथवा दोनों ही माध्यमों से सूचना प्रसारित की जायेगी। सूचना में आवन्टित होने वाली सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण के अतिरिक्त आवन्टन की तिथि, स्थान एवँ समय तथा अनुमानित मूल्य व भुगतान का शेड्युल भी निर्दिष्ट होगा।

43. लाटरी में सफ़ल प्रत्येक इच्छुक क्रेता को औपचारिक आवन्टन पत्र भेजा जायेगा। आवन्टन पत्र में निर्धारित तिथि के अन्दर वान्छित धनराशि न जमा करने अथवा समस्त औपचारिकतायें निर्धारित तिथि तक पूर्ण न करने पर एक नोटिस व्दारा 15 दिन का समय अवशेष धनराशि/औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु दी जायेगी। इसके उपरान्त भी वान्छित धनराशि जमा न किये जाने अथवा औपचारिकतायें पूर्ण न करने पर नियम के अनुसार आवन्टन निरस्त करके सम्पत्ति अन्य व्यक्तियों को आवन्टित कर दी जायेगी। वान्छित धनराशि जमा कर देने पर तथा औपचारिकतायें पूर्ण करने पर ही कब्ज़ा पत्र जारी किया जा सकेगा।

44. पँजीकृत व्यक्ति अथवा आवन्टी अपने जीवन काल में निर्धारित प्रारूप पर क़ानूनी उत्तराधिकारी नामित कर सकता है जो सम्पत्ति कार्यालय की पत्रावली में रखा जायेगा।

45. क- यदि नगर महापालिका, विद्युत अथवा जल सँस्थान की सम्बन्धी सेवायें प्राधिकरण व्दारा दी जा रही हैं, उस दशा में इनका अनुरक्षण शुल्क आदि प्राधिकरण को तब तक देय होगा जब तक यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं।

ख- आवन्टी नगर महापालिका/विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी व्दारा लगाये गये समस्त कर या शुल्क स्वयँ देगा। इस प्रयोजन हेतु प्राधिकरण व्दारा दिये किसी कर की प्रतिपूर्ति आवन्टी व्दारा की जायेगी। आवन्टी व्दारा इन करों या व्ययों की प्रतिपूर्ति न किये जाने की दशा में प्राधिकरण व्दारा भुगतान किया गया कर या व्यय भू-राजस्व के अवशेष के तौर पर वसूलने का अधिकार प्राधिकरण को होगा जिसके सम्बन्ध में होने वाला व्यय आवन्टी को वहन करना होगा।

46. इस विनियम के अर्न्तगत आवन्टन निरस्त किये जाने के उपरान्त यदि आवन्टन पुर्नजीवित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है और यदि उक्त भवन उस समय तक पुनः किसी अन्य को आवन्टित न कर दिया गया हो तो वितय की अवधि का देय ब्याज तथा अनुमानित सूचित विक्रय मूल्य का । प्रतिशत जमा करके आवन्टन का पुर्नजीवन किया जा सकेगा।

47. आवन्टन के पश्चात् आवन्टी भवन की भूमि का कब्ज़ा वास्तविक नाप के अनुसार लेगा। यदि क्षेत्रफल या आकार पूर्व सूचित क्षेत्रफल या आकार से भिन्न होगा तो सँशोधित स्थिति के अनुसार भुगतान करना होगा। यदि आवन्टी व्दारा अधिक धनराशि जमा की जा चुकी है तो वह उसे 6 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस कर दी जायेगी। ऐसी दशा में आवन्टी का कुल मूल्य के भुगतान का दायित्व प्रथम आवन्टन पत्र के दिनाँक से होगा अर्थात मूल आवन्टन के समय भूमि का मूल्य मय 6 प्रतिशत ब्याज के एकमुश्त देय होगा या किश्तों में सयोजन किया जायेगा।

48. वर्तमान में शासनादेश के अनुरूप निम्न प्रकार के विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिये आरक्षण की सुविधा दी गयी है:-

1.	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये	18 प्रतिशत
2.	पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये	15 प्रतिशत
3.	सुरक्षा सैनिक 50 वर्ष या अधिक सार्वजनिक सेवा से सम्बन्धित ऐसे व्यक्ति जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं।	5 प्रतिशत
4.	स्वतन्त्रता सँग्राम सेनानी,उ0प्र0विधान सभा के सदस्य, लोक सभा के सदस्य	5 प्रतिशत
5.	लखनऊ विकास प्राधिकरण, उ0प्र0आवास एवँ विकास परिषद, नगर महापालिका,लखनऊ/ उ0प्र0 जल सँस्थान के कर्मचारियों के लिये	5 प्रतिशत

टिप्पणीः-

क. उपरोक्त आरक्षण वर्तमान शासनादेश के अनुसार है। यदि भविष्य में शासनादेश में कोई परिवर्तन होता है तो आवन्टन के समय जो आरक्षण शासनादेश के अनुसार होगा, वह ही लागू होगा।

ख. विधायकों(उत्तर प्रदेश) के लिये आरक्षण उच्च आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के भवनों के लिये मान्य होगा।

ग. ऐसे सभी आवेदकों को जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, आवेदन पत्र में भी उल्लेख करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रार्थनापत्रों को आरक्षण की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

घ. यदि किसी श्रेणी में आरक्षित अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो ऐसे भवनों को सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों में विभक्त कर दिया जायेगा।

ड.. विकास प्राधिकरण में प्रचलित पद्धति के अनुसार यदि किसी योजना में पँजीकरण समाप्त हो गया है और लाटरी व्दारा भवनों के आवन्टन के पश्चात् यदि कोई भवन शेष रह जाता है या भवन निरस्तीकरण या रिफन्ड या स्थानान्तरण के कारण रिक्त हो जाता है तो उसका आवन्टन अन्य किसी पँजीकृत व्यक्ति को नकृद मूल्य पर किया जा सकता है।

49. किराया क्रय पध्दति पर आवन्टित भवनों का आवन्टी किसी भी समय अपने भवन के किराये का पूर्ण भुगतान करना चाहते है तो ऐसे आवन्टी को देय अवशेष धनराशि पर निम्न दरों से छूट देय होगीः-

क.	साइट एवँ सर्विसेज़ के भूखण्ड	6 प्रतिशत
ख.	आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के भवन	5 प्रतिशत
ग.	अल्प आय वर्ग के भवन	3 प्रतिशत
घ.	मिनी मध्यम आय वर्ग के भवन	2 प्रतिशत
ड.	मध्यम आय वर्ग के भवन	1 प्रतिशत

उपरोक्त छूट के सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध रहेगा कि यदि स्ववित्त पोषित योजना अथवा नकृद मूल्य पर आवन्टित होने वाले भवनों का बिक्रय मूल्य, इस प्रकार देय छूट घटाने के पश्चात्, अधिक होता है तो छूट की सीमा उपरोक्त पध्दति पर आवन्टित भवनों के लिये निर्धारित बिक्रय मूल्य की सीमा तक ही दी जायेगी।

50. रजिस्ट्री या अनुबन्ध करते समय निम्न जोड़ा जा सकता हैः-
"पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन, माता-पिता।

51. भवनों का निर्माण पूर्ण होने पर वास्तविक विक्रय मूल्य निकाला जायेगा। मूल्य के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। यदि वास्तविक मूल्य में घोषित मूल्य से 20 प्रतिशत से अधिक वृध्दि हो जाती है और आवन्टी भवन नहीं लेना चाहता है तो आवन्टी को अपनी पूर्ण धनराशि वापस लेने का अधिकार होगा। यह धनराशि बिना कटौती के तथा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित आवन्टी को वापस कर दी जायेगी।

52. <u>लखनऊ विकास प्राधिकरण में भवनों के हस्तान्तरण पर हस्तान्तरण शुल्क</u>

1. यदि किसी आवन्टी व्दारा आवन्टित भवन की रजिस्ट्री की तिथि से 5 वर्ष पूर्व भवन का विक्रय किया जाता है तो ऐसी दशा में भूमि के क्रय मूल्य और वर्तमान मूल्य के अन्तर का 40 प्रतिशत लाभांश देय होगा। यदि कोई आवन्टी आवन्टित भवन की रजिस्ट्री की तिथि से 5 वर्ष के पश्चात् अपना भवन बेचता है तो लाभांश देय नहीं होगा।

2. मृत्यु की दशा में विरासत के आधार पर होने वाले हस्तान्तरण में कोई लाभांश नहीं लिया जायेगा।

53. यदि सम्पत्ति के सम्बन्ध में विलेख निष्पादन हो चुके हैं तो उस सम्पत्ति के पुनः हस्तान्तरण के सम्बन्ध में होने वाले समस्त व्यय जैसे स्टाम्प ड्यिुटी, रजिस्ट्री एवँ लिखाई-पढ़ाई आदि का व्यय आवेदक को ही वहन करना होगा।

54. आवन्टन की प्रक्रिया अथवा आवन्टित सम्पत्ति का कब्ज़ा दिये जाने से सम्बन्धित या उक्त नियमों के विषय में कोई अन्य विवाद उत्पन्न होता है तो उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

55. <u>विस्थापित तथा जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति अर्जित की गई हो, के लिये सुविधायें</u>

प्राधिकरण की आवास योजनाओं में जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति अर्जित की जाती है अथवा जिन्हे प्राधिकरण व्दारा विस्थापित किया गया है उन्हे निम्नलिखित सुविधायें दी जा सकती हैं:-

1. उन्हे भवनों के आवन्टन में प्राथमिकता दी जा सकती है।
2. उन्हे तब तक रजिस्ट्रेशन की धनराशि नहीं जमा करनी होगी जब तक उन्हे अर्जित सम्पत्ति के लिये मुआवज़ा न प्राप्त हो जाय, परन्तु आवन्टन के पूर्व बयाने की धनराशि जमा करनी होगी चाहे उन्हे मुआवज़ा न मिला हो। ऐसे लोगों को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है:-

क) योजना का पूरा नाम- जिसके अन्तर्गत उनकी सम्पत्ति अर्जित की जा रही है या की गई है।

ख) सम्पत्ति का विवरण (ग्राम का नाम, खसरा, प्लाट सँख्या)।

ग) भूमि अथवा मकान का क्षेत्रफल।

घ) लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी व्दारा प्रदत्त अन्तिम सूचना या अन्य कोई प्रमाण-पत्र जिससे यह ज्ञात हो सके कि उनकी सम्पत्ति योजना के अन्तर्गत अर्जित की जा रही है या की गई है।

ड.) भूमि की सेल डीड/इन्तख़ाब की प्रमाणित प्रतिलिपि/स्वामित्व प्रमाण।

टिप्पणीः

किसी भी योजना में विस्थापित व्यक्तियों के लिये भी भवनों के आवन्टन में प्राथमिकता रहेगी।

56. उपाध्यक्ष को आवन्टन की किसी भी शर्त को शिथिल करने अथवा परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

57. उपाध्यक्ष का अन्तिम निर्णयः

इन विनियमों में किसी बात के रहते हुए भी किन्ही विशेष परिस्थितियों में विकास प्राधिकरण हित में उपाध्यक्ष को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। आवन्टन की प्रक्रिया तथा भुगतान पध्दति में सामयिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन का अधिकार भी पूर्णतः उपाध्यक्ष को होगा।

58. वादों के लिये अधिकार क्षेत्रः

इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिये लखनऊ स्थित दीवानी न्यायालय का ही अधिकार होगा।

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष में होने वाली लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: दिसम्बर, 15, 1990में विचारणीय अनुपूरक विषयों की कार्य सूची : -

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
	विषय संख्या: 08 का संलग्नक	01
01.	मनीषा मन्दिर को भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित ।	04
02.	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल को कानपुर रोड योजना में भवन संख्या: ए-1/5 सी के विरूद्ध दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	13
03.	कानपुर रोड योजना स्थित भूखण्ड संख्या:डी.-23/डी., विवादग्रस्त होने के कारणं ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	15
04.	मोहल्ला बरफखाना योजना के ट्रस्ट प्लाट संख्या: 06 पर पासी जागृति मण्डल को धर्मशाला निर्माण की अनुमति दिया जाना ।	16
05.	गोमती नगर योजना विश्वास खण्ड-3 में शापिंग काम्पलेक्स के निर्माण कार्य से सम्बन्धित विचलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	18
06.	पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।	19

विषय सख्या-8
का
सलंग्नक

पृ० सं० 1

26/9/90 प्रेषक,

अजय कुमार संजय कुमार रोहित कुमार
2162, चाँद गंज, गार्डन, लखनऊ ।

सेवा में,

श्रीमान् आयुक्त महोदय,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।

विषय:- बलीगंज सब्जी मण्डी योजना के सम्बन्ध में ।

मान्यवर महोदय,

आपसे हम लोगों की निम्न निवेदन है :-

1. यह कि हम लोगों ने अपने प्लाट संख्या 2162/1/4 पर भवन निर्माण हेतु भवन चित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन विभाग में 14.10.88 को स्वीकृत हेतु निर्धारित शुल्क की धन राशि जमा करते हुए प्रस्तुत किये थे। किन्तु अभी तक

2. यह कि हम लोगों का नक्शा / भवन चित्र / अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है और उस पर यह आपत्ति लगायी गयी है कि उक्त भूमि सब्जी मण्डी योजना के लिए प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में हम प्रार्थी आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सब्जी मण्डी योजना आज तक गजट नहीं हुई है तथा शासन द्वारा इस पर आपत्तियां थी । इस क्षेत्र में एक बेसिक पाठशाला है जिसमें यहां पर पिछड़ी जाति के गरीबों के बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं जिसे नगर महापालिका के द्वारा संचालित किया जाता है तथा महापालिका द्वारा इसमें ~~बच्चों के शिक्षा हेतु~~ इतने बच्चों की शिक्षा हेतु कमरे बनाये गये है ।

3. उक्त भूमि पर हम लोग अर्से से अपना कारोबार कर रहे हैं और बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, जिन्हें हटाना उचित नहीं है। प्राधिकरण के अधिकारी स्थल का निरीक्षण भी कर चुके हैं और योजना समाप्त करने हेतु अपनी अनुशंसा भी की है। बलीगंज सब्जी मण्डी योजना अभी तक स्वीकृत नहीं की गयी तथा गजट भी नहीं की गयी और नियमानुसार उसका समय भी बीत

अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया पुरानी योजनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों के विचारार्थ आपकी योजना प्रस्तुत की जाय ।

भवदीय,
(भुवा दत्त उपाध्याय)

दिनांक 5/X/90

जो त्रुटि अभी फोटो स्टेट प्रति में

कृपया:- 2 पी

सब्जी मण्डी योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सन् 77-78 में प्रस्तावित की गयी थी जिसको लगभग 12 साल बीत चुके हैं। अतः इस योजना का समय भी विकास प्राधिकरण के नियमानुसार इतना बीत चुका है इसका कोई वैधानिक औचित्य ही नहीं रहा है।

3- शब्जी मण्डी योजना सीतापुर रोड पर ~~कार्यरत है~~ बन कर कार्यरत है।

4- जितनी भूमि पर शब्जी मण्डी योजना प्रस्तावित की गयी थी उस पर कोई आवासीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा भवन चित्र स्वीकृत होकर भवन निर्माण हुए भी 8 से 10 वर्ष हो चुके हैं।

5- इस योजना की समाप्ति के लिए प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखा गया था जो विचाराधीन है।

अतः आप से नम्र निवेदन है कि हम लोगों की प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की महान कृपा करें तथा इस योजना को विकास प्राधिकरण की बोर्ड की मीटिंग में समाप्त कराने हेतु निर्णय लेने की महत्ती कृपा करेंगे हम सब आप के जीवन भर आभारी रहेंगे।

हमें पूर्ण आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्ण निर्णय लेते हुए विकास प्राधिकरण को आदेश देंगे कि शब्जी मण्डी योजना की पत्रावली अगली विकास प्राधिकरण की बैठक में योजना को समाप्त करने हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

सहयोग के लिए धन्यवाद।

प्रार्थी,

अजय कुमार

अजय कुमार एवं अन्य

उप समिति के समक्ष विचारार्थ आशय :-

अलीगंज योजना के अन्तर्गत रेदास मन्दिर रेलवे क्रासिंग के निकट अलीगंज सब्जी मण्डी योजना बनाई गयी थी जो कि वर्तमान समय में शासन स्तर पर वर्ष 1979 से लम्बित है। लम्बित योजनाओं के विश्लेषण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.10.88 को एक उपसमिति का गठन किया गया था। इस उपसमिति की बैठक दिनांक 12.4.89 को हुई थी जिसमें इस योजना पर भी विचार विमर्श हुआ था और निर्णय लिया गया था कि स्थल निरीक्षण के उपरांत पुनः आशय आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये। मेरे द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। यह भूमि अलीगंज योजनाहेतु कुर्सी रोड से जो मुख्य स्पोर्ट रोड है उस पर स्थित है। कुर्सी रोड के तथा स्पोर्ट रोड के कोने पर ही एक नगर महापालिका का प्राइमरी स्कूल है जो कि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। फिर भी इस स्कूल में पढ़ाई होती है। स्कूल की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु शासन ने भी अपने पत्रों द्वारा इच्छा व्यक्त की है। स्कूल के बाद एक जनरल स्टोर की दुकान है जिसके सारिक्त भूमि भी है। इस भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु प्राधिकरण की नीति के अनुसार अनुमति दे दी गयी है। इस भूखण्ड के उपरांत एक मोटर वर्कशाप स्थित है जिस पर भी भवन निर्माण हेतु मानचित्र प्राप्त हुआ है। इस भूखण्ड के पश्चात् एक आरा मशीन स्थित है जिस पर भी भवन निर्माण हेतु मानचित्र प्राप्त हो चुका है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में स्थल पर अधिकतर भूमि निर्माणों से आच्छादित है तथा इन भूखण्डों पर पुनः भवन निर्माण हेतु मानचित्र भी प्राप्त हो चुके है जिन पर प्राधिकरण की नीति के अनुसार अनापत्ति दी जानी चाहिए। वैसे भी अलीगंज योजना के लिये मुख्य स्पोर्ट रोड होने के कारण यदि इस पर सब्जी मण्डी की स्थापना की जाती है तो यातायात की दृष्टि से अनुचित होगी। मेरे विचारों से वर्तमान समय में तो सब्जी मण्डी की स्थापना कपूरथला अथवा अलीगंज कार्मशियल काम्प्लेक्स के आस-पास के क्षेत्र में जो की केन्द्र में स्थित है, होनी चाहि उपरोक्त समस्त तथ्य समितिके समक्ष इस आशय से प्रेषित है कि समिति इस पर विचार कर निर्णय लेना चाहे कि योजना को जारी रखा जाये अथवा समाप्त कर दिये जाये।

7/8/89

(डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा)
सलाहकार (भूमि-अर्जन),
संयोजक ।

अनु०नि०रू०:1 पृ०रू०:4

विषय: मनीषा मन्दिर को भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित ।

आख्या: मनीषा मन्दिर ने अपने पत्र दि0।4.।।.90द्वारा सूचित किया है कि मनीषा मंन्दिर संस्थान मान्यता प्राप्त है। यह मन्दिर बेसहारा बालिकाओं को शिक्षा और आवास देने के लिए कृत संकल्प है । इस संस्था का उद्देश्य निराश्रित कन्याओं को संरक्षण देकर उनका पालन पोषण, चरित्र निर्माण एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से बनाये गये पंजीकृत न्यास मनीषा प्रकल्प के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गयी है । इस के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है:-

।। निराश्रित बालिकाओं के आवास भोजन आदि आवश्यकताओं की पूर्ति ।

।।। वैदिक संस्कृति के अनुसार उनकी शिक्षा एवं चरित्र निर्माण ।

।।।। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कलाओं, शिल्प, तकनीकी ज्ञान आदि का प्रशिक्षण ।

।।/। योग्य बनाकर उन बालिकाओं के विवाह में सहयोग अथवा उन्हें स्वतंत्र रूप से आजीविका अर्जित करने में सहयोग ।

।/। निराश्रित बालिकाओं और उनकी देख-रेख करने वालों के निवास हेतु आश्रम, बालिकाओं के विकास हेतु विद्यालय, कार्यशाला, चिकित्सा केन्द्र, विभिन्न कलाओं, शिल्प तकनीकी ज्ञान आदि के प्रशिक्षणार्थ भवन, मनोरंजन केन्द्र खेलकूद प्रांगण आदि का निर्माण, रखरखाव आदि तथा संचालन ।

।/।। निराश्रित बालिकाओं के कल्याणार्थ अन्य आवश्यक कार्य ।

2. मनीषा मन्दिर के उपरोक्त पत्र की प्रति नियमावली सहित संलग्न है ।

3. उपरोक्त उद्देश्यों को देखने पर ज्ञात होता है कि उपरोक्त मंन्दिर एक सामाजिक कार्य कर रहा है । उपरोक्त संस्थाने गोमती नगर योजना में लगभग 45000व.फुट भूमि की मांग कीहै। यह भूमि गोमती नगर योजना के प्रथम चरण में सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत उपलब्ध भूमि में से आवंटित की जा सकती है।

4. चूंकि यह एक सामाजिक कार्य है, अत: प्राधिकरण कृपया उपरोक्त संस्था को आवासीय दर की आधी दर पर भूमि देने हेतु निर्णय लेने का कष्ट करें। भुगतान के समय जो आवासीय भूमि की दर होगी उसकी आधी दर से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। चूंकि उपरोक्त संस्था एकमुश्त भुगतान कर पाने में समर्थ नहीं है, अत: 25% धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30दिन के अन्दर तथा शेष धनराशि तीन वर्षों में 16%वार्षिक ब्याज सहित ले ली जाय ।

पृ.सं.: 5

प्रेषक,

डा.सरोजनी अग्रवाल,
संस्थापक एवं अध्यक्ष,-मनीषा मन्दिर,
"अभिवादन"बाल्दा कालोनी,
निशातगंज,
लखनऊ ।

सेवा में,

कास्ट एकाउन्टैन्ट-एवं-इकोनामिक प्लानर,
ल0वि0प्रा0,
इन्चार्ज बल्क सेल

क्रमांक मा0म0494/90 दिनांक14.11.90

महोदय,

निवेदन है कि मनीषा मन्दिर संस्थान जो कि मान्यता प्राप्त है ।बेसहारा बालिकाओं को शिक्षा और आवास देने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए मनीषा मन्दिर को भूखण्ड की आवश्यकता है । जिस पर इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थायी भवन बन सके और अधिकाधिक शिक्षित बालिकायें/और आत्मनिर्भर बन सके।फार्म भरकर दे रही हूं। आपसे अनुरोध है कि कृपया मनीषामंन्दिर को अधिकतम रियायती दर पर लगभगभूखण्ड पार्क के पास शीघ्र आवंटित करने की कृपा करें । लगभग4500व.फुट भूखण्ड गोमती नगर योजना ।

संलग्नक:

1. रू01000/-का ड्राफ्ट नं0282416, दिनांक13.11.90 पी.एन.बी., निशातगंज, लखनऊ ।
2. नियमावली
3. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र
4. मान्यता पत्र।

Computed by

भवदीया,

ह0/-
(डा0सरोजनी अग्रवाल)
संस्थापक एवं अध्यक्ष-मनीषा मन्दिर

नियमावली

1- संस्था का नाम - मनीषा मन्दिर (निराश्रित बालिकाओं के कल्याणार्थ समाज सेवी संस्थान)।

2- कार्यालय का पता - ''अभिवादन'' वाल्मि कालोनी, निशातगंज, लखनऊ-226007 आवश्यक होने पर संस्थान की प्रबन्ध परिषद के निर्णय पर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है।

3- कार्य क्षेत्र - सम्पूर्ण भारत वर्ष

4- उद्देश्य - मनीषा मन्दिर की स्थापना मुख्यतः निराश्रित कन्याओं को संरक्षण देकर उनका पालन पोषण, चरित्र निर्माण एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से बनाये गये पंजीकृत न्यास मनीषा प्रकल्प के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये की गई है। अतः मनीषा प्रकल्प पंजीकृत न्यास के द्वारा संकल्पित सभी कार्यों का क्रियान्वयन इसका प्रमुख उद्देश्य होगा।

इसी से संलग्न अन्य उद्देश्य निम्नलिखित है :-

1- निराश्रित बालिकाओं के आवास भोजन आदि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति।

2- वैदिक संस्कृति के अनुसार उनकी शिक्षा एवं चरित्र-निर्माण।

3- उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न कलाओं, शिल्प, तकनीकी ज्ञान आदि का प्रशिक्षण।

4- योग्य पाकर उन बालिकाओं के विवाह में सहयोग अथवा उन्हें स्वतंत्र रूप से आजीविका अर्जित करने में सहयोग।

5- निराश्रित बालिकाओं और उनकी देखा-रेखा करने वालों के निवास हेतु आश्रम, बालिकाओं के विकास हेतु विद्यालय, कार्यशाला, चिकित्सा केन्द्र, विभिन्न कलाओं, शिल्प, तकनीकी ज्ञान आदि के प्रशिक्षणार्थ भवन, मनोरंजन केन्द्र, खेलकूद प्रांगण आदि का निर्माण, रखरखाव आदि तथासंचालन।

6- निराश्रित बालिकाओं के कल्याणार्थ अन्य आवश्यक कार्य।

5- सदस्यता :

संस्थान के सदस्यों के निम्नलिखित चार वर्ग होंगे :-

1- प्राथमिक सदस्य :

वे 9(नौ) सदस्य जिनका नाम स्मृति पत्र में दिया है संस्थान के

------2

ह.क.37

प्राथमिक सदस्य होंगे । ये संस्थान के आजीवन सदस्य मान जायेंगे ।

2- संरक्षक सदस्य :

1- वे सदस्य जो अपनी विशेष योग्यता और विशिष्ट स्थिति द्वारा संस्थान के कार्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति में विशेष सहयोग देंगे ।

2- वे सदस्य जो एक बार में कम से कम पाँच हजार या अधिक रुपये संस्थान को दान स्वरूप देंगे या इतने मूल्य का कोई सामान देंगे ।

3- दानवीर सदस्य :

वे सदस्य जो एक वर्ष में छः सौ रुपये या अधिक धनराशि का दान प्रतिवर्ष संस्थान को देंगे ।

4- सहयोगी सदस्य:

वे सदस्य जो निःशुल्क अपने श्रम, समय और शिक्षा दान आदि द्वारा संस्थान के हित के लिये सक्रिय रूप से समर्पित होंगे ।

नये सदस्य अध्यक्ष द्वारा पुष्टि किये जाने पर ही नियमानुसार संस्थान के सदस्य माने जायेंगे । प्रत्येक सदस्य संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रतिबद्ध रहने उसके नियमों का पालन करने तथा संस्थान के हित के विपरीत कोई कार्य न करने की लिखित शपथ लेगा ।

5- सदस्यता समाप्ति :

1- मृत्यु होने पर, दिवालिया होने या पागल होने पर ।

2- किसी घृणित अनैतिक अपराध के लिये अधिकृत न्यायालय द्वारा कारावास पाने पर ।

3- संस्थान के अहित में कार्य करने, सौंपे गये अधिकार तथा संस्थान की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने, गबन करने, उसके पैसे का हिसाब न देने, नियम पालन न कर, अनुशासन के विपरीत कार्य करने के कारण प्रबन्ध समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर जिसमें अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी ।

4- प्रबन्ध परिषद की लगातार छः बैठकों में बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहने पर ।

5. किसी सदस्य द्वारा त्याग-पत्र देने पर जब वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हो जाय ।

6. दानवीर सदस्यों द्वारा दूसरे वर्ष के अन्तिम दिन तक नियमानुसार दान राशि न देने पर ।

7. संस्था के अंग :-

(अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्ध परिषद

8. साधारण सभा :-

(अ) गठन:- प्राथमिक संरक्षक, दानवीर तथा सहयोगी सभी सदस्य साधारण सभा के सदस्य मान्य होंगे ।

(ब) बैठक:- साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी परन्तु विशेष परिस्थिति में यह अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है ।

(स) सूचना अवधि :- बैठक की सूचना महामंत्री द्वारा कम से कम '5' दिन पूर्व भेजी जायेगी और विशेष परिस्थिति में बैठक बुलाने पर यह अवधि '7' दिन हो सकेगी ।

(द) गणपूर्ति :- गणपूर्ति कुल सदस्यों की 1/4 (चौथाई) की होगी । यदि आधे घंटे तक गण पूर्ति नहीं होगी तो अध्यक्ष/आज्ञा से घंटे से बैठक स्थगित कर दी जायेगी । स्थगित बैठक आधे घंटे का अन्तराल देकर उसी दिन की जा सकेगी किन्तु स्थगित बैठक में पूर्व प्रेषित एजन्डा पर ही कार्यवाही की जा सकेगी । बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी ।

(ह) विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि यह प्रबन्ध परिषद द्वारा तय की जायेगी ।

(र) साधारण सभा के कर्तव्य/अधिकार :-

1- प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत और प्रस्तावित विषयों पर विचार विमर्श ।

2- किसी भी सदस्य द्वारा निर्णय एवं अनुकूल समस्याओं और प्रस्तावों का प्रस्तुति करण, उन पर चर्चा, निर्णय एवं अनुकूल और उपयोगी प्रस्ताव पारित करना ।

3- संस्थान के वार्षिक आय व्यय के लेखो का अवलोकन ।

क्रमश:--

4- प्रबन्ध परिषाद दवारा प्रस्तावित संविधान के किसी नियम के परिवर्तन संवर्धन या संशोधन का अनुमोदन ।

प्रबन्ध परिषाद :-

(ब) गठन :- प्रबन्ध परिषाद में कुल 11 (ग्यारह) सदस्य तक होंगे जिनमें 9 प्राथमिक सदस्य होंगे । सदस्य दानवीर सदस्यों से, । सदस्य सहयोगी सदस्यों से होगा जिन्हें प्राथमिक सदस्यों की संस्तुति पर अध्यक्ष दवारा नामित किया जायेगा ।

ग्यारह सदस्यो में । अध्यक्ष, । उपाध्यक्ष, । महामंत्री, । संयुक्त मंत्री, । कोषाध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्य होंगे ।

(1) अध्यक्ष :

मनीषा प्रकल्प पंजीकृत हिन्दू दायित्व न्यास का प्रबन्ध ट्रस्टी मनीषा मन्दिर का अध्यक्ष होगा । यदि किसी कारण यह ट्रस्ट समाप्त होता है तो संस्थान के प्राथमिक सदस्यों में से उनके 2/3 बहुमत से अध्यक्ष का चुनाव होगा । संस्थान की प्रथम अध्यक्ष मनीषा मन्दिर की संस्थापक एवं मनीषा प्रकल्प की प्रबन्ध ट्रस्टी डा० (श्रीमती) सरोजिनी अग्रवाल होंगी ।

(2) उपाध्यक्ष :

उपाध्यक्ष का चुनाव प्राथमिक सदस्यों में से उनके दवारा बहुमत पर अध्यक्ष की सहमति से होगा ।

(3) महामंत्री :

प्रबन्ध परिषाद के सदस्यों में से अध्यक्ष दवारा मनोनीत किया जायेगा ।

(4) संयुक्त मंत्री :

प्रबन्ध परिषाद के सदस्यों में से महामंत्री कीसंस्तुति पर अध्यक्ष दवारा मनोनीत होगा ।

(5) कोषाध्यक्ष :

प्रबन्ध परिषाद के सदस्यों में से महामंत्री कीसंस्तुति पर अध्यक्ष दवारा मनोनीत किया जायेगा ।

कृ०सं०:10

संख्या 1006 पत्रावली सं0-1 96461 दिनांक 29/11/88

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण

का

प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या २१, १८६० के अधीन)

संख्या 4360 १९८८ १९८९

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मनीषा मन्दिर (निराश्रित बालिकाओं के कल्याणार्थ समाज सेवी संस्थान) "अभिवादन" बाल्दा कालोनी, निशात गंज, लखनऊ को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई0 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 28/11/1993 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 29/11/ उन्नीस सौ तत्र को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश।

पा0 एस0 यू0 पी0 - ए0 पी0 2 फर्म्स् निबन्धक--8-8-85--(1535)--1985--1,00,000 (हिन्दी)।

APPENDIX "C"

पृ.सं.: 11

Licence

In exercise of the powers conferred by section 26 of the U.P. Women's and Children's Institutions (Control) Act, 1956, I hereby permit, subject to the observance of the conditions hereinafter set forth, Sri श्रीमती सरोजिनी अग्रवाल . . . . . .

Son of श्री रामशरण गोविंद . village or mohalla बाल्दा कालोनी

police station. निशातगंज . . . District. लखनऊ . . to

run the institution known as मनीषा मन्दिर . . . . located at

village or mohalla अर्नेगर मनीषा प्रकल्प बाल्दा कालोनी, लखनऊ . police station. . .

सेक्टर 12 महानगर

. . . महानगर . . . district . . . लखनऊ . . . . . .

and functioning as an orphanage.
a Widow's home
a Vigilance home
a Rescue home
a Marriage bureau

मनीषा मन्दिर
अर्नेगर मनीषा प्रकल्प
अभिवादन, बाल्दा कालोनी
निशातगंज, लखनऊ

2. The institution shall admit women/girls/boys and the maximum number of inmates shall not exceed ..25. (पच्चीस बालिकायें)

Conditions to be observed by the licensee

1. No licensed institution shall, unless authorised in this behalf admit as inmates persons of different sexes above the age of 8 years.

2. The manager of the licensed institution shall arrange to teach, train, lodge, clothe and feed every women or child admitted in the institution.

3. The manager of the licensed institution shall maintain a register in the prescribed form containing the following particulars concerning each inmate admitted in the institution:

(a) Name of the inmate,
(b) Age, sex and religion
(c) Condition of health on admission
(d) Last address
(e) Nearest of kin
(f) Names of father and mother stating whether dead or alive, name of husband in case of a married women.
(g) Name and address of the person responsible for her/his care.
(h) Amount, if any paid for care
(i) Name of person or agency seeking admission of the woman or child.
(j) Reason for admission
(k) Terms and conditions of admission
(l) A brief history of the case, and
(m) Such other pariculars as may be prescribed by the Director of Social Welfare.

4. Teh manager shall maintain proper accounts of all sums of money received and spent by him in the form prescribed.

. . . . 2

5. The Manager of a licensed institution shall [illegible] directions duly issued by the Administrative Board. The Board shall issue its directions through the Director of Social Welfare.

6. If the management of the licensed institution found to have committed a breach of the abovementioned conditions or if the management has been persistently unsatisfactory or prejudicial to the moral and physical well being of the inmates, the licence is liable to be cancelled.

Date . 18-3-1985..

Licensing Authority

District [illegible]

अनु०वि०स०: 2 पृ०क्र०: 13

श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल को कानपुर रोड़ योजना में आवंटित भवन संख्या: ए-1/5 सी के विरुद्ध लगाये गये दण्ड ब्याज से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ टिप्पणी ।

श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल को कानपुर रोड़ योजना के सेक्टर डी में एक भूखण्ड संख्या- बी-21/डी स्व-वित्त पोषित भुगतान पद्धति पर आवंटित हुआ था। इस भूखण्ड के विरुद्ध वांछित धनराशि जमा करने के पश्चात् प्रार्थी द्वारा पट्टाविलेख का निबन्धन दिनांक- 21.3.1984 को कराया गया था।

प्राधिकरण द्वारा किन्हीं परिस्थितियों में उक्त भूखण्ड पर भवन का निर्माण करा दिया गया, जिसके कारण प्रार्थी को उक्त भूखण्ड पर कब्जा नहीं दिया जा सका। इस प्रकार दिनांक 21.3.84 के बाद से कब्जा देने में अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही करने में विलम्ब हुआ। फलस्वरूप दिनांक 22.4.1988 को तत्कालीन सचिव के आदेशानुसार उक्त भूखण्ड के स्थान पर प्रार्थी को भवन संख्या- ए-1/5 सी का आवंटन बिना परिवर्तन शुल्क के पुरानी दर पर किया गया। गणना के अनुसार उक्त भवन का विक्रय मूल्य रु० 3,00,600/= निर्धारित किया गया। चूंकि आवंटी द्वारा इसके पूर्व कुल रुपया 32,881.25 पैसे जमा किया गया था। इस कारण जमा की गयी धनराशि को घटाते हुए अवशेष धनराशि मुद्रांक रु० 2,67,718.75 जमा करने की अपेक्षा की गयी। परिस्थितियों पर विचार करने के बाद दिनांक 1.10.1986 से दि० 31.7.1988 के मध्य लगाये गये अतिरिक्त ब्याज को छोड़ दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी से कुल रु० 2,17,518.75 पै० की मांग की गयी। अवशेष धनराशि मुद्रांक रु० 2,17,518.75 पै० की अदायगी के लिए प्राधिकरण द्वारा एक पत्र दिनांक 6.8.88 को लिखा गया । इस पत्र के कार्यालय प्रति के अवलोकन से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि यह पत्र कार्यालय द्वारा निर्गत हुआ, क्योंकि इस आशय का उल्लेख नहीं है कि इसे किस माध्यम से भेजा गया । इस प्रकार प्रार्थी के इस कथन में बल है कि उसे इसकी प्रति प्राप्त नहीं हुई । दिनांक 6.8.1988 को अवशेष धनराशि जमा करने हेतु कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के बाद लगभग दो वर्ष के बाद दिनांक 14.3.1990 अर्थात लगभग दो वर्षों के अन्तराल के बाद अनुस्मारक भेजा गया ।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14.3.90 को ब्याज सहित दिनांक 30.5.90 तक धनराशि जमा करने हेतु पत्र प्राप्त होने तक आवंटी ने पुनः प्राधिकरण के अधिकारियों से सम्पर्क किया जिस पर तत्कालीन संयुक्त सचिव द्वारा दिनांक 30.8.88 से दिनांक 30.5.90 तक ब्याज माफ करने हेतु पत्रावली तत्कालीन सचिव को प्रेषित की गयी । सचिव ने पत्रावली को कास्ट - एकाउन्टेंट को पुनर्गणना हेतु भेज दिया । चूँकि सचिव द्वारा स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया था इस कारण कास्ट-एकाउन्टेंट की ओर से विलम्ब के अन्तराल का ब्याज लिये जाने की संस्तुति की गयी ।

चूँकि कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ था, इस कारण उक्त अवधि से लेकर अद्यावधिक ब्याज एवं दण्ड ब्याज की अदायगी के लिये आवंटी उत्तरदाई नहीं है। अतः इस अवधि का दण्ड ब्याज न लिया जाना ही उचित होगा ।

उक्त संस्तुति सहित टिप्पणी प्राधिकरण के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

अनु०वि०रू०: 3 पृ०रू०: 15

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय:- कानपुर रोड योजना स्थित भूखण्ड संख्या डी-23/डी विवादग्रस्त होने के कारण दण्ड ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में ।

विषय वस्तु:- कानपुर रोड योजना में भूखण्ड संख्या डी-23/डी श्री प्रताप सिंह पाल को पत्र संख्या 2455/जे०एस०ए० दिनांक 2०1०86 द्वारा आवंटित किया गया था भूखण्ड के प्रति देय रू०25,037०9० पैसे दिनांक 3००111०86 तक जमा करने हेतु आवंटी को पत्र संख्या मेमो/ए०पी०ओ० दिनांक 27०1०86 द्वारा सूचित किया गया था। यह धनराशि आवंटी ने दिनांक 5०2०88 को जमा किया है। धनराशि जमा होने के बाद रजिस्ट्री की कार्यवाही के समय यह तथ्य ज्ञात हुआ कि भूखण्ड विवाद ग्रस्त है। श्री प्रताप सिंह पाल ने दिनांक 17०3०88 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उनके विभाग को एक पत्र लिख दिया जाये कि वाद निर्णीत होते ही भूखण्ड की रजिस्ट्री कर दी जायेगी। इस प्रार्थना पत्र पर पत्र संख्या 236/जे०एस०सी० दिनांक 5०5०88 द्वारा यह सूचना जारी कर दीगयी कि आवंटित भूखण्ड की रजिस्ट्री किया जाना सम्भव नहीं है वर्तमान समय में वाद विवाद का निर्णय विभाग के पक्ष में हो गया है तथा लीज प्लान भी प्राप्त हो गये हैं। रजिस्ट्री की कार्यवाही से पूर्व इस बिन्दु का निर्णय होना है कि आवंटी ने भूखण्ड की धनराशि देय तिथि दिनांक 3०11०86 के बाद दिनांक 5०2०88 को जमा किया है अतएव आवंटी से दण्ड ब्याज लिया जाये या नहीं? आवंटी श्री पाल ने यह प्रार्थना किया है कि भूखण्ड विवादग्रस्त होने के कारण विभाग इस स्थिति में नहीं था कि रजिस्ट्री करके कब्जा दे सके। अतः विलम्ब के लिये दण्ड ब्याज न चार्ज किया जाये आवंटी के इस प्रार्थना में पर्याप्त बल है भूमि पर विवाद चल रहा था जिसमें विभाग के पक्ष में निर्णय की सूचना पत्र संख्या 1194/विधि दिनांक 31०8०88 द्वारा प्राप्त हुई। आवंटी ने इससे पूर्व ही धनराशि दिनांक 5०2०88 को जमा कर दिया था इस प्रकार विवाद समाप्त होने के पूर्व देय धनराशि विकास प्राधिकरण में जमा हो गयी थी। अतः दण्ड ब्याज वसूल करना उपर्युक्त न होगा। कृपया विकास प्राधिकरण इस प्रकरण में विचार करके निर्णय लेने की कृपा करें।

अनु०वि०सं०:4 पृ०सं०: 16

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक हेतु आख्या

विषय:- मोहल्ला बरफखाना योजना के ट्रस्ट प्लाट संख्या-6 पर पासी जागृति मण्डल को धर्मशाला निर्माणकी अनुमति दिया जाना ।

आख्या:- पासी जागृति मण्डल ने तत्कालीन इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट के बरफखाना योजना के प्लाट संख्या-6 क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट पर धर्मशा निर्माण करने की अनुमति हेतु भवन चित्र प्रस्तुत किया है तथा स्वामित्व के प्रमाण में तत्कालीन इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट द्वारा जारी पत्र संख्य 3735/एन०एस०/205-5-629 दिनांक 8०1०52 की प्रति प्रस्तुत की है,जो श्री मातादीन गूजर सेक्रेटरी जागृति मण्डल पुराना बरफखाना लखनऊ द्वारा श्री भोलाराम मिस्त्री पुराना बरफखाना,उदयगंज को सम्बोधित है तथा तत्कालीन चेयर मैनें की ओर से जारी किया गया है।प्रतिलिपि संलग्न।

बन्दोबस्त 1862 के अनुसार में मोहल्ला बरफखाना स्थित खसरा संख्या 132 क्षेत्रफल बी०0-2-2-19 अभिलेखों में "पोखता मन्दिर सती" दर्ज है और कालम संख्या 6 नजूल में नजूल अंकित के कालम में वक्फ अंकित है तथा खसरा नं०157 क्षेत्रफल बी०13-6-13-14 कालम नं०2 में बंजर उफतादा दर्ज है और कालम 6 नजूल में नजू अंकित है। सम्पत्ति रजिस्टर 1907 के अनुसार ये नम्बरान ट्रस्ट को मुंतकिल हैं। योजना बनाते समय इन्हीं नम्बरान की भूमि पर योजना का प्लाट नं०6 बनाया गया और उक्त कथित पत्र द्वारा सती मन्दिर के लिए आरक्षित किया गया। विभाग में वर्तमान में इससे सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं है और पक्ष द्वारा प्रस्तुत पत्र दि 8०1०52 के ही आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

2० यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट द्वारा जिस पत्र के आधार पर कार्यवाही की जानी है वह पत्र श्री मातादीन गूजर सेक्रेटरी जागृति मण्डल पुराना बरफखाना,लखनऊ द्वारा श्री भोलाराम मिस्त्री पुराना बरफखाना उदयगंज को निर्गत किया गया है जिसमें प्लाट नं०6 को सती मन्दिर हेतु छोड़ा गया है, परन्तु प्रश्नगत भवन चित्र उत्तर प्रदेशीय पासी जागृति मण्डल की ओर से प्रस्तुत किया गया है जिसमें पासी ब धर्मशाला के निर्माण की अनुमति माँगी जा रही है। इस प्रकार दोनो संस्थाओं के नाम

क्रमशः---2

और प्रस्तावित निर्माण के उद्देश्यों में सकल्पता नहीं है।

3. इसी प्लाट पर पूर्व में निर्माण हेतु दिनांक 26.8.52 को नक्शा स्वीकृत किया गया था जैसाकि पाती जागृति मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई गयी नक्शे की फोटो प्रति से स्पष्ट है, परन्तु किस उद्देश्य से उक्त नक्शा स्वीकृत था, यह प्रस्तुत नक्शे की फोटो प्रति से स्पष्ट नहीं होता है।

4. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि स्थल परखाली पड़े इस प्लाट की भूमि को अर्जन किए जाने की भी कार्यवाही प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्लाट संख्या 6 पर उत्तर प्रदेशीय पाती जागृति मण्डल द्वारा प्रस्तुत धर्मशाला के भवन चित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में आज्ञा विचारार्थ प्रस्तुत है।

11.12.90

अनु०वि०सं०:5 पृ०सं०:19

विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय:- गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड-3 में शापिंग काम्पलेक्स के निर्माण कार्य से सम्बन्धित विचलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त कामर्शियल काम्पलेक्स के निर्माण हेतु निविदा रू0 65,15,789·15 की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात उपरोक्त निविदा के अन्तर्गत निम्नांकित अतिरिक्त मदों की स्वीकृति समय-समय पर अलग से प्रदान की गई।

1-	पाईल फाउन्डेशन का कार्य।	रू0 5,62,250·00
2-	कोटा स्टोन का कार्य।	रू0 2,88,400·00

उपरोक्त मदों के अतिरिक्त कई अन्य मदों में बढोत्तरी हुई है जिसमें सबसे अधिक वृद्धि विद्युत के मदों में हुई है। उक्त विचलन की स्वीकृति उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई क्योंकि यह धनराशि रू0 75,00,000·00 से अधिक है अतएव इसकी औपचारिक स्वीकृति प्राधिकरण से अपेक्षित है। कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अतः प्राधिकारण से उपरोक्त विचलन की औपचारिक स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

विकास प्राधिकरण बोर्ड की आगमी बैठक हेतु प्रस्ताव

विधि विभाग में पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव

विधि विभाग में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमों की संख्या लगभग 2421 है किन्तु विधि विभाग में कर्मचारियों की संख्या नगण्य है जो अधिकारी/कर्मचारी विधि विभाग में कार्यरत है उसमें केवल एक मुख्य विधि परामर्शी, एक विधि अधीक्षक के अतिरिक्त न कोई विधि अधिकारी, सहायक विधि अधिकारी, विधि सहायक एवं विधि निरीक्षक ही कार्यरत हैं जिससे विधि विभाग की कार्य प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में दिन प्रतिदिन मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। परन्तु कर्मचारियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। विधि विभाग में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि किया जाना आवश्यक है क्योंकि माननीय न्यायालय में पैरवी के लिये अधिवक्ताओं से सम्पर्क स्थापित करने, वाद -पत्र प्रतिवाद-पत्र, रिट याचिकायें, प्रति शपथ-पत्र तथा उन सबकी समय के अन्दर तैयार कराकर दाखिल कराने तथा अन्य महत्वपूर्ण वादों की समुचित पैरवी एवं सलाह-मशविरा देने तथा कार्य को और प्रभावी ढंग से चलाने के लिये विधि विभाग हेतु निम्नलिखित पदों की नितांत आवश्यकता है।

क्रम०सं०	पदनाम	कार्यरत संख्या	वांछित पदों की संख्या	वेतनमान रुपया
1.	मुख्य विधि परामर्शी	01	--	--
2.	विधि अधिकारी	--	01	3700-5000
3.	सहायक विधि अधिकारी	--	01	3000-4500
4.	विधि अधीक्षक	01	01	2200-4000
5.	विधि सहायक	--	04	1400-2600
6.	आशुलिपिक	19	02	1200-2040
7.	विधि निरीक्षक	--	16	975-1600
8.	प्रवर वर्ग सहायक	04	--	--
9.	अवर वर्ग सहायक	05	09	950-1500
10.	टंकण	01	01	950-1500
11.	अनुचर	05	03	750- 940

उपर्युक्त पदों का सृजन किया जाय तो न्यायालय स्तर से लेकर कार्यालय स्तर तक कार्य प्रणाली युक्त हो सकती है क्योंकि जितना कार्य कार्यालय में है उससे अधिक कार्य माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमें की पैरवी करने अधिवक्ताओं से सम्पर्क स्थापित करने के लिए तथा दूसरे विभागों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये विधि अधीक्षक, विधि सहायकों की नीतान्त आवश्यकता है।

सम्पत्ति विभाग हेतु एक सहायक सम्पत्ति अधिकारी के पद का सृजन हेतु प्रस्ताव

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03.02.87 द्वारा सहायक सम्पत्ति अधिकारी का एक पद वेतनमान-485-860 में एक वर्ष के लिये सृजित किया था उक्त प्रस्ताव

...2

द्वारा बैठक में यह भी उपबन्ध किया था कि उक्त पद के जारी रखने हेतु क्वान्टम वर्क दर्शित करते हुए प्रस्ताव पुनः रखा जाय।

प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में सीतापुर रोड योजना, प्रियदर्शनी योजना, राधाग्राम योजना, कानपुर रोड योजना, ट्रांसपोर्ट नगर योजना के समस्त एग्रीमेंट नोटिस तथा अन्य सभी कार्यों के निस्तारण के अतिरिक्त पुरानी सम्पत्तियों एवं किराया पर दी गयी व्यावसायिक केन्द्रों की दुकानों की राजस्व वसूली एवं विक्रय की गयी सम्पत्ति के एग्रीमेन्ट सीतापुर रोड योजना स्थित 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मि किये गये समस्त भवनों के एग्रीमेंट निष्पादित करने के कार्य के साथ-साथ किश्तों की वसूलयाबी का कार्य।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में स०स०अधि०/सं०स०अधीक्षक पद को विकास प्राधिकरण में निरन्तर बनाये रखने की आवश्यकता है।

प्राधिकरण उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में विचार करके उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकर करते हुए शासन को संदर्भित करने की अनुमति अपेक्षित है।

विभिन्न श्रेणी के पदों केसृजन का प्रस्ताव

लखनऊ विकास प्राधिकरण में विभिन्न योजनाओं में लगे ट्यूबेलों को चलाने तथा उनके रख रखाव हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता है इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं तथा विभिन्न अभियंत्रण खण्डों के कार्य हेतु अतिरिक्त स्टाफ की भी कमी है जिस कारण कार्य सुचारू-रूप से नहीं चल पा रहा है साथ ही प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की सम्पत्तियों की देख-रेख, हाट मिक्स प्लान्ट के मशीनों का संचालन एवं उनके अनुरक्षण प्राधिकरण के भारी वाहन तथा हल्के वाहनों को सुचारू-रूप से चलाने तथा इनके अनुरक्षण हेतु भी कर्मचारियों की अत्यन्त आवश्यकता बनी हुई है।

उपरोक्त सभी कार्यों को सुचारू-रूप से करने हेतु पदों की नितान्त आवश्यकता है जिसमें कुछ पदों की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो गयी है, जिन पर कार्यरत दैनिक वेतन भो० कर्मचारियों को नियमितिकरण किया जा चुका है। जिन पदों की आवश्यकता है उनके पद नाम एवं संख्या निम्न प्रकार है:-

पदनाम	संख्या	शासन से स्वीकृत प्राप्त पदों की सं०	वांछित पदों की सं० जो शासन को भेजे गये हैं।
लिपिक	153	140	11
सुपरवाइजर	14	-	16
माली	140	112	26
अमीन	04	-	04
ट्रेसर	02	-	02
केनमेन	09	-	09
मशीन सहायक	02	-	02
मुंशी	72	59	12
लेबर	01	-	01
अवर अभियन्ता	11	-	11
लिफ्ट आपरेटर	06	-	06
वेवर आपरेटर	01	-	01
हेल्पर	21	11	09
गैंगमैन	18	15	03
मेट	11	07	04

कन्सोल आपरेटर	01	-	01
प्लम्बर	02	-	02
मेशन	02	-	02
कारपेन्टर	01	-	01
ब्लूपीन्टर	01	-	01
फोटो स्टेट आपरेटर	01	-	01
टाटा आपरेटर	01	-	01
पम्प आपरेटर	08	-	08
मैकेनिक	05	-	05
क्लीनर	12	-	12
ड्राइवर	28	05	22
चौकीदार	169	157	13
विद्युतकार	09	-	09
स्वीपर	40	32	08
टेलीफोन आपरेटर	04	04	-
बेलदार	05	05	-
आपरेटर	02	-	02
सुरक्षागार्ड	01	01	-
बैरोकार	01	-	अनुचर में सम्मिलित हैं।
योग-	758	548	205

उपरोक्त पदों की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि इन पदों पर पांच व छः वर्षों से कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं और ये लोग निरन्त मांग कर रहे हैं कि इन्हें नियमित किया जाय। उपरोक्त पदों की स्वीकृति भी शासन से मांगी गयी है। परन्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त पदों में केवल अवर अभियन्ता को छोड़कर सभी पद अकेन्द्रीकृत सेवा के हैं। इन पदों पर नियुक्ति का अधिकार उपाध्यक्ष महोदय में निहित है* उपरोक्त पदों की स्वीकृति उपरान्त कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को शासन स्वीकृति की प्रत्याशा में नियमितीकरण पर विचार किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

अपर सचिव

सचिव

अनुमोदनार्थ

उपाध्यक्ष।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 15 दिसम्बर,1990 जो आयुक्त,लखनऊ मण्डल/
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई, का

कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1-	श्री रमेश चन्द्र,	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष,लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2-	श्री दिनेश राय	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका,लखनऊ।
3-	श्री आर0के0शर्मा,	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग।
4-	श्री जे0पी0भार्गव	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5-	श्रीमती विभा पुरी	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग।
6-	श्री एन0एस0माथुर	मुख्य अभियन्ता(मध्य क्षेत्र), उ0प्र0 जलनिगम,लखनऊ।
7-	श्री अरुण कुमार पचौरी	मुख्य वास्तुविद् नियोजक,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद(आवास आयुक्त के स्थान पर)
8-	श्री एम0ए0एम0खान,	विशेष आमन्त्री, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
9-	श्री एस0एम0जाफ़र	महाप्रबन्धक, जल संस्थान, लखनऊ।

अन्य उपस्थितिः

के0 के0 उपाध्याय	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

विषय संख्याः। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 27-7-90 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 27-7-1990 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

क्रमशः----------

विषय सँख्याः 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 27 जूलाई,1990 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णयः — अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय सँख्याः3 — लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पादित बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवँ अन्य अभियन्त्रण कार्यों की प्रगति आख्या।

निर्णय : — बीस सूत्रीय कार्यक्रम के प्रगति विवरण के अवलोकनोपरान्त निर्देश दिया गया किः-

(1) उच्च आय वर्गीय एवँ मध्यम आय वर्गीय भवनों की प्लानिंग की जानी चाहिये।

(2) विकास के कार्यों का विवरण अवश्य दिया जाया करे।

विषय सँख्याः 4 — शारदा नगर योजना के स्कीम खण्ड -। में 92 उच्च आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु हडको से रू0 151.80 लाख ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय सँख्याः 5 — प्रियदर्शनी योजना (सीतापुर रोड पश्चिम) की अर्थ-विवेचना के सम्बन्ध में।

निर्णयः — विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में उक्त विषय विस्तृत अर्थ-विवेचना के साथ प्रस्तुत किया जाये।

विषय सँख्याः 6 — जनपथ में निर्मित मुख्य भवन की बेसमेन्ट की दुकानों के विक्रय के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि दरें कम किया जाना सम्भव नही है। यदि कोई प्रतिवेदन आता है तो उस पर निम्नांकित सदस्यों की एक उपसमिति गठित की जाय जो विचार करके अपनी टिप्पणी प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगीः-

1- मुख्य ग्राम एवँ नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण,लखनऊ।
3- कास्ट एकाउन्टेन्ट-कम-इकोनामिक प्लानर, ल0वि0प्रा0।

विषय सँख्याः 7 — कैसरबाग़ बारादरी के आस पास की भूमि पर "कैसरबाग़ गृह सँस्थान" एवँ सड़क योजना हेतु अर्जन का प्रस्ताव।

निर्णय : — विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए कैसरबाग़ गृह सँस्थान एवँ सड़क योजना हेतु अर्जन का प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।

क्रमशः-------

विषय सँख्याः 8 — अलीगँज योजना के अर्न्तगत रैदास मन्दिर रेलवे क्रासिँग के निकट अलीगँज सब्ज़ी मण्डी योजना के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्थल पर सर्वे कराकर भवनों का विवरण आदि लेकर उपाध्यक्ष अपने स्तर पर निर्णय ले लें।

विषय सँख्याः 9 — वर्ष 1985 में आई बाढ़ से गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड के भवनों की फर्श क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि औचित्य के आधार पर ठेकेदार को आवन्टियों से वसूल की गई धनराशि का भुगतान किया जाये।

विषय सँख्याः 10 — अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधी दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सुविधा समाप्त कर दी जाये परन्तु आवन्टन में वरीयता दी जाय। दिनाँक 31-3-91 तक ही पूर्व स्वीकृत प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाये।

विषय सँख्याः 11 — विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णयः — विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय सँख्याः 12 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को पेन्शन भुगतान के सम्बन्ध में नगर महापालिका,लखनऊ व्दारा किये गये सँशोधन को लागू करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय सँख्याः 13 — लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साइकिल भत्ते में वृध्दि के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों को औचित्य के आधार पर दिसम्बर,1990 से साइकिल भत्ता रू0 65/- प्रतिमाह की दर से दिया जाये।

विषय सँख्याः 14 — कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरानी लागत पर भवन दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित पुनः रखा जाय।

विषय सँख्याः 15 — आवन्टित ई0डब्लू0एस0 भवन के स्थान पर दूसरी योजना में एल0आई0जी0 भवन आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय सँख्याः 16 — काश्मीर से आये शरणार्थियों, विकलागों, पिछड़ी जातियों तथा विवादग्रस्त प्रकरणों में एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन की अनुमति के सम्बन्ध में।

निर्णयः — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विवादग्रस्त प्रकरणों में एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन अध्यक्ष की अनुमति से किया जाये तथा समस्त प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किये जायें।

विषय सँख्याः 17 — श्री अशोक कुमार को गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में आवन्टित भूखण्ड सँख्याः1/123 पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय सँख्याः 18 — श्रीमती मित्ता सिँह श्रीवास्तव तथा श्री बच्चा सिँह को गोमती नगर योजना के विजय खण्ड में आवन्टित भूखण्ड सँख्याः2/207 पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय सँख्याः 19 — गोमती नगर योजना के अर्न्तगत विभूति खण्ड में 10,000 वर्गफुट आवन्टित भूखण्ड के बग़ल में पड़ी 12,000 वर्गफुट भूमि का आवन्टन।

निर्णय : — विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय सँख्याः 20 — मवैय्या स्थित ट्रस्ट भूखण्ड सँख्याः 363-ए/14 के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि विस्तृत सूचना के साथ प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय सँख्याः 21 — अपोलो अस्पताल को गोमती नगर योजना के विपिन्न खण्ड में भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचरोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-

(1) 10.00 एकड़ भूमि आवन्टित की जाये।

(2) उक्त क्षेत्रफल के अनुसार मूल्य लिया जाये।

(3) भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यक्तानुसार पत्र आवास सचिव को भेज दिया जाय।

विषय सँख्याः 22 वज़ीर हसन रोड योजना का सँशोधित अभिन्यास चित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय सँख्याः 23 गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड का सँशोधित अभिन्यास चित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव सँशोधन सहित स्वीकृत किया गया।

विषय सँख्याः 24 सीतापुर रोड योजना के फ़ेज़-3 के विन्यास मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय सँख्याः 25 महायोजना जोनिँग रेगुलेशन के अधीन तैयार किये गये मार्ग दर्शक सिध्दान्तों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि अल्प आय वर्ग एवँ आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के भवनों का अनुपात मुख्य नगर एवँ ग्राम-नियोजक व्दारा परीक्षण करा लिया जाये।

विषय सँख्याः 26 हायर परचेज़ पध्दति के अन्तर्गत आवन्टित किये जाने वाले भवनों की सामान्य शर्ते।

निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि इसका अध्ययन कर, सदस्य एक माह में अवगत करा दें।

अनु0विषय सँख्याः। मनीषा मन्दिर को भूमि आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि 30,000 वर्गफिट भूमि आधी दर पर आवन्टित कर दी जाये।

अनु0विषय सँख्याः 2 श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल को कानपुर रोड योजना में भवन सँख्याः ए-।/5 सी के विरुध्द दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिया गया कि चूकिँ कार्यालय के पत्र दिनाँक 6-8-88 के भेजे जाने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है तथा अनुस्मारक दो वर्ष बाद दिनाँक ।4-3-90 को भेजा गया है। अतः विलम्ब के लिये कार्यालय का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

अनु0 विषय सँख्याः 3 श्री प्रताप सिँह पाल को कानपुर रोड योजना के सेक्टर "डी" में आवन्टित भूखण्ड सँख्याः डी-23/डी, विवादग्रस्त होने के कारण ब्याज माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तव स्वीकार किया गया।

अनु0 विषय सँख्याः4 — मोहल्ला बरफ़्खाना योजना के ट्रस्ट प्लाट सँख्याः6 पर पासी जागृति मण्डल को धर्मशाला निर्माण की अनुमति दिया जाना।

निर्णय : — विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-

सती मन्दिर के स्थान पर धर्मशाला बनाये जाने की अनुमति दी गई, किन्तु निर्देश दिया गया कि स्वामित्व के विषय में परीक्षण करा लिया जाय।

अनु0विषय सँख्याः5 — गोमती नगर योजना विश्वास खण्ड-3 में शापिंग काम्पलेक्स के निर्माण कार्य से सम्बन्धित विचलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : — निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष पत्रावली का परीक्षण कर स्वयँ निर्णय ले लें।

अनु0विषय सँख्याः6 — पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

निर्णय : — कर्मचारियों एवँ अधिकारियों की इफ़्फ़ीसियेन्सी, उनका पूरा उपयोग तथा वित्तीय भार की सूचना देते हुए लोड आफ़ वर्क का एक तुलनात्मक विवरण तैयार कराकर प्रस्ताव शासन के विचारार्थ आयुक्त के माध्यम से भेजा जाय।

‖ के0 के0 उपाध्याय ‖
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

‖ दिनेश राय ‖
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अ नु मो दि त

‖ रमेश चन्द्र ‖
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवँ
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।